**श्री उपसभापति :** ठीक है, आपको जो कहना था वह आपने कह दिया।

**श्री राजनारायण :** मैं भारत सरकार की निन्दा करता हूं.

**श्री उपसभापति :** अब आप बैठिये।

## RESOLUTIOT RE BASIC CHANGES IN THE CO ISTITUTION IN THE LIGHT OF T IE MANDATE IN THE RECEPT ELECTIONS

**श्री भोला प्रसाद** (बिहार) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा, लोक सभा के हाल के चुनावों में दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी की हार और हमारी जनता द्वारा दिये गये स्पष्ट आदेश का ध्यान रख कर और इस आदेश का सम्मान करते हुए सरकार से भारत के संविधान में कुछ आधारभूत परिवर्तनों तथा क्रान्तिकारी सामाजिक आर्थिक अभ्युपायों के लिए जिनमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हों, तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है:—

(1) गोलक नाथ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विधिमान्य प्रभावों के निरसन के लिए संविधान का संशोधन करना, जिससे संसद को संविधान के भाग 3 को संशोधित करने, एकाधिकार पर रोक लगाये जाने की सारी विधिमान्य बाधाओं को हटाने, बिना क्षतिपूर्ति के प्रिवीपर्सों को समाप्त करने, क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू करने, विदेशी तथा भारतीय एकाधिकारी प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीयकरण सहित अर्थतंत्र में आवश्यक संरचनात्मक परीवर्तन करने, उच्चतम न्यायालय को पुनर्गठित करने और सामाजिक सुधारों से संबंधित मामलों में उसकी शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार को पुनः परिभाषित करने का ऐसा अधिकार प्राप्त हो जाय जो निर्बंध हो और जिसे चुनौती न दी जा सके ;

(2) सामान्य उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में विशेषतः कतिपय उपभोक्ता उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर के, कमी करने के लिए प्रभावी उपाय

(3) कामगारों तथा कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन प्रदान करना ;

(4) बेरोजगारी में वृद्धि को रोकने और न्यूतम आवश्यक रोजगार के अवसर निर्माण करने के लिए प्रभावी उपाय करना;

(5) कारखानों के बन्द किये जाने, छटनी, जबरी छुट्टी इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगाना;

(6) इस देश में काम करने वाले विदेशी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा लाभ, ब्याज, लाभांश स्वामित्व इत्यादि के बाहर भेजे जाने पर कठोर प्रतिबन्ध लगाना;

(7) एकाधिकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के, जिन में श्री रामनाथ गोयनका के नियन्त्रणाधीन प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं, कदाचरणों की जांच आयोग, अधिनियम, 1950 के अधीन जांच करना ;

(8) भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्मचारियों की ऐसी शक्तियों पर, जो इस वर्ग का शासन बनाये रखने, प्रशासन में प्रगतिशील विचारों तथा ईमानदारी और प्रतिभा को निरूत्साहित करने और तकनीकी तथा वैज्ञानिक कर्मचारियों को दबा कर रखने के लिए प्रयुक्त होती है, कठोर प्रतिबन्ध लगा कर प्रशासन का विशेषतः सर्वोच्च स्तर पर, लोकतांत्रिकरण करना; और

(9) योजना आयोग का, इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए कि वह संरचनात्मक परिवर्तनों और क्रान्तिकारी सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करे, उसके कार्य हेतु स्पष्ट मार्ग निर्देशक सिद्धांतों सहित ऐसे सुयोग्य सदस्यों द्वारा पुनर्गठन जो क्रान्तिकारी सामाजिक, आर्थिक उपायों के लिए प्रतिबद्ध हों।

श्रीमन्, पिछले मध्यावधि चुनाव में जो लोक सभा के लिए अभी हुए हैं, जनता ने यह निर्णय दिया है, उससे दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियां परास्त हुई हैं। न केवल जनता ने दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को परास्त किया है, बल्कि यह निर्णय भी दिया है और आदेश दिया है कि देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में बुनियादी क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय। क्योंकि देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का जो गठजोड़ था, चुनाव के समय में राजनीतिक तौर से तो हमने उसको परास्त किया, लेकिन उसका जो प्रधान स्तम्भ है, उसका जो सामाजिक और

[ श्री भोला प्रसाद ]

आर्थिक स्तम्भ है वह है इस देश के इजारेदार पूंजीपतियों की शक्ति, देश में बड़े-बड़े जमींदारों की शक्ति, देश में राजा और नवाबों की शक्ति, और इन इजारेदार पूंजीपतियों की शक्ति के बीच अंग्रेज और अमरीकी पूंजी की शक्ति जिसका राज्य और देश पर प्रभाव है, तो जब तक इनको खत्म नहीं किया जाता है, तब तक हम देश से शक्तियों को समाप्त नहीं कर सकते । इतना ही नहीं, जो खुद सरकार की पूंजीवादी नीतियां है, जिन पर चल कर देश ने पिछले 22 वर्षों में अपने विकास का रास्ता अख्तियार किया था और जिन के चलते देश में ये प्रतिक्रियावादी शक्तियां मजबूत हुई है, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि सरकार की इन पूंजीवादी नीतियों को बदला नहीं जाता है । और इन कामों को करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया और प्रस्ताव में कहा गया है कि देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय और यह तभी हो सकता है, जबकि देश के संविधान में परिवर्तन किया जाय । देश के संविधान में संशोधन किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, जब यह मध्यावधि चुनाव देश के सामने आये तो सबसे पहले यह सवाल पेश हुआ कि लोक सभा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की यह सभा, यह पार्लियामेंट बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, न्यायालय बड़े है । क्योंकि हम लोग यह देख चुके हैं कि पार्लियामेंट ने दो-तिहाई बहुमत से प्रिवीपर्स को खत्म करने का फैसला किया और उसके आधार पर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया । उसके कब्ल गोलकनाथ केस के मामले में यह वर्डिक्ट आ चुका था कि पार्लियामेंट को भी अधिकार नहीं है कि देश के संविधान में जो मौलिक अधिकारों की धारा है, उसमें परिवर्तन कर सकें ।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : Mr. Deputy Chairman, I rise on a point of order. Under Rule 157 (ii) it says, "It shall raise substantially one definite issue." There is not one issue in this Resolution. I think there are about a dozen issues. To be exact, there are nine issues raised in this. Of course. I would like to add one more for which I have proposed an amendment. But this Resolution itself is, I do not think, in order. It raised nine issues whereas Rule 157 (ii) says, "It shall raise substantially one delinite issue." Thai is one point.

1 also draw your attention to Rule 157 (iii) which says,

> "It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions imputations of defamatory statements."

What is the meaning of right reaction '.' Some people may call his party right reaction. . . .

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar) : You are one of them. I know you are one of them. Unfortunately, my friend, Mr. S. D. Misra, is also one of them.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : Sir, can I speak on my point of order without being disturbed by Mr. Yajee '? Will you please control him ? He is here only to disturb people. What is his contribution except disturbing people while speaking ? The Congress Party sent him again and again only for this destructive work.

I would also like to draw your attention to Rule 158 under which a portion of this Resolution at least is out of order. It says :

> The Chairman shall decide on the admissibility of a resolution, and may disallow a resolution or a part thereof when in his opinion it does not comply with these rules.

I have drawn your attention to this Rule under which I think it is out of order. If you think that on the basis of my submission you cannot rule the whole of the Resolution out of order, you can rule a portion of it out of order. I think, this Resolution is not in order under the Rules of the Rajya Sabha, as they stand.

Then. I want to move an amendment. At the appropriate time, you may call upon me to do so.

SHRI BHUPESH GUPTA : (West Bengal) I think the Resolution is quite in order. The definite issue is the

mandate of the election. The other point that ha e been stated here are the expression o the mandate. Suppose 1 move a ! esolution o'n Five Year Plan. I can add very many things to it connected u i the various Ministries. Here the iss e is the mandate of the election. Th • Resolution says that having rega i to the mandate, this should be c >ne. This is not to be confused wi I a separate subject as such. The i andate was for amending the Constilu ion and bringing about socio-econon ic progress. This is only elabon ;k n of the main issue. There is on : definite subject, namely, the mandaU which implies that we must go thro igh Constitutional amendments and socio-economic measures. Hon. Meml :rs are entitled to spell out the mandate as they understand it. Therefoi .;, there is one definite subject, nan -\\ the mandate.

Secondly, the Chairman has already allowed it. Otherwise, it would not have come. If the Chairman wants to revise his opinion, he is entitled to do it. But he Chairman has allowed it. Not on y that, after moving the Resolution, i was in the middle of the speech that my friend has raised the point of order as to what should be moved. If he wants to reverse the course of tl e House, he can do it.

Lastly, my friend accepts this Re solution bei tuse he has given an ame ndment to If it is an illegitimate child, why toes he own it up ? Let him discan it. But my friend has accepted it.

SHRI DXHYABHAI V. PATEL : That is why I have drawn the attention of the Hon;; to Rule 158. My friend can feign n >t to have heard it, if he does not lik it. I have been long enough in this House to know that.

SHRI UHUPESH GUPTA : My friend, Shr Dahyabhai Petal, has given an an endment to it. Therefore, he thinks t iere is something substantially good and which, according to him, can bt amended. Otherwise, the amendment would not have come. I won't give an amendment to zero.

SHRI DAHYABHAI V. PATELL If you add so many zeros after one zero, nothing happens.

SHRI BHUPESH GUPTA : Therefore, Mr. Deputy Chairman, are you going on the reverse gear ?

SHRI KRISHAN KANT(Haryana): May 1 say a word ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Not necessary. I can give my ruling no\v.

SHRI BHUPESH GUPTA : I must apologise to you. I forgot to mention one thing. If you do not like the words 'Right Reaction', you can change them into 'Jan Sangh. Swatantra. Syndicate Combine'. I have no objection.

SHRI KRISHAN KANT : According to the rules , it is true that there should be one specific thing. The specific point is about changing the Constitution and that is because of the historical reason. The rightists have been routed in the election and a new situation has come about. That is why people are demanding this. If really want to meet the new situation and the desires of the people, this is the specific thing which ought to be done. Therefore, the Resolution is quite in order and he should be allowed to go on. The party to which my friend belongs and other rightist parties have been routed bringing about a new situation. This is what the Resolution says.

**श्री राजनारायण** (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, ज़रा एक मिनट हमको सुन लीजिए। मैं संविधान में जो आर्थिक, सामाजिक और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के रास्ते में बाधक अनुच्छेद हैं, उनके परिवर्तन का पक्षपाती हूं और चाहता हूं कि संविधान में ऐसे परिवर्तन हों, जिससे कि राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का विकेन्द्रीकरण हो और शुद्ध रूप में चौखम्भा राज्य की स्थापना हो। मगर क्या हम चाहते हैं कि श्री भूपेश गुप्त और

[ श्री राजनारायण ]

श्री कृष्ण कान्त जी तमाम नियमों की अवहेलना करके ही यह संसदीय प्रथा को चरितार्थ करेंगे। एक वाक्य में यह लिखा जा सकता है.....

**श्री शीलभद्र याजी :** चोर की दाढ़ी में तिनका।

**श्री उपसभापति :** याजी साहब, चुप रहिए।

**श्री शीलभद्र याजी :** यह अपने को एक्सपोज़ कर रहे हैं।

**श्री उपसभापति :** शांति कीजिए थोड़ी सी।

**श्री राजनारायण :** देखिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह शब्द निकाल दिया जाए--हमारे मित्र का पूरा मकसद आ जाएगा। वह ऐसे आ जाएगा कि--"लोक सभा के हाल के चुनावों में दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद की जीत और मतदान के मत-पत्रों के साथ की गई धपलेबाजी द्वारा बहुमत पाने के बाद भी देश हित का आदर करते हुए संविधान में ऐसा संशोधन करें जिससे कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और सही माने में समाजवाद और जनतंत्र प्रतिबिम्बित हो"।

**श्री उपसभापति :** ठीक है, आप बैठिए।

Mr. DEPUTY CHAIRMAN : I have heard all the points of view. As point out by MR. Krishau Kant, there is one definite issue; that is considered the amendment of the Constitution and why it should be amended. The grounds have been enumerated in the Resolution. While admitting this particular Resolution the Chairman has given thought to every aspect of it, and then only he has admitted this Resolution, and therefore there can be no difficulty in allowing the hon. Member to move the Resolution. . . .

(*Interruptions*)

**श्री भोला प्रसाद :** श्रीमन्, जनता ने यह आदेश दे दिया है कि देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए, तभी देश से गरीबी को मिटाया जा सकता है, तभी देश से बेकारी को दूर किया जा सकता है, तभी जनता की समस्याएँ भी दूर हो सकती हैं और इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि देश के संविधान में परिवर्तन किया जाए--जैसा कि मैंने कहा कि जब लोक सभा डिजाल्व हुई, खुद लोक सभा के सामने यह मसला पेश था, गोलकनाथ केस को लेकर कि देश में यह पार्लियामेन्ट बड़ी है या न्यायालय बड़ा है? किसकी शक्ति बड़ी है? क्या जनता की और जनता के द्वारा अभिव्यक्त यह पार्लियामेन्ट की शक्ति या न्यायालय की शक्ति? इसी लिए आज जरूरी हो गया है कि पार्लियामेन्ट जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सर्वोपरि सभा है, जो देश में राजनैतिक व्यवस्था का सबसे ऊंचा राजनैतिक ढांचा है, उसको यह पूरा अधिकार होगा कि देश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, देश की राजनैतिक व्यवस्था के बारे में, देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, जनता के संबंध में जो भी फैसला करे, वह फैसला सर्वोपरि हो और उसको बदलने का हक उसको रद्द करने का हक न्यायालय को नहीं होना चाहिए और यह तभी हो सकता है, जबकि संविधान में परिवर्तन किया जाय। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलखनाथ के केस में जो फैसला किया है उसके आधार पर उसको बदला जा सके और इस पार्लियामेन्ट को यह अधिकार पुनः स्थापित हो सके कि वह संविधान में मौलिक परिवर्तन कर सके। इसी तरह से खुद सरकार ने जो अपनी नीतियां आगे के लिए घोषित की हैं या राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो आगे के लिए करने का फैसला किया है और हम जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसमें वह तभी हो सकता है, जबकि देश के अन्दर बड़े-बड़े पूंजीपति, इजारेदार शक्तियों को तोड़ा जा सके, राजा-महाराजाओं, नवाबों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे खत्म की जायें और उन्हें इसके लिए कुछ भी मुआवजा न दिया जाय। बड़े-बड़े जमींदारों से उनकी जमींदारी लेकर बिना मुआवजा गरीब किसानों और मजदूरों में बांट दी जाय। इस तरह से दूसरे भी क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जाने चाहियें। यह तभी हो सकता है जबकि संविधान में सम्पत्ति के संबंध में मौलिक अधिकार की धारा को बदला जाय। हम नहीं चाहते हैं, हमारी पार्टी नहीं चाहती है कि सम्पत्ति पर जो साधारण लोगों का अधिकार है, वह खत्म कर दिया जाय। साधारण लोगों को सम्पत्ति पर अपनी जीविका और अपनी रोजी के लिए जो अधिकार मिले हुए हैं, वे उसको होने चाहियें। लेकिन आज आजादी के 23 वर्षों बाद के धन का बड़ा हिस्सा जो केवल 75 मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में पड़ा हुआ है और देश के बड़े-बड़े जमींदारों के

पास जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जमा है। अगर इसको तोड़ा नहीं जाता है, तो हम किसी तरह से भी जनता की हालत में, देश की आर्थिक हालत में, सामाजिक हालत में, जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और न ही उसको ऊंचा उठा सकते हैं। इनके साथ ही साथ देश में बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए हम कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि संविधान में सम्पत्ति के संबंध में मौलिक अधिकार वाला जो अनुच्छेद है, उसमें भी परिवर्तन किया जाय और उसमें संशोधन किया जाय।

**श्री राजनारायण** किस तरह से परिवर्तन किया जाय, यह भी तो बतलाइये।

**श्री भोला प्रसाद** : इसके लिए अलग से बिल लाने की जरूरत है और इसके लिए अलग से बिल आये। साथ ही इस काम को करने के लिए यह भी जरूरी है कि न्यायालयों में चाहे वे हाई-कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हो, वहां जजों की बहाली के बारे में भी, संविधान के अन्दर ऐसे परिवर्तन करने चाहिये जिससे खुद पार्लियामेन्ट को यह अधिकार हो कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए जिस भी जज की बहाली हो, उसका पैनल पार्लियामेन्ट के जरिये तय किया जाय और उस पैनल के आधार पर योग्य जजों को उच्च न्यायालय में बहाल किया जाय। इसी तरह से राज्य स्तर पर जजों का पैनल विधान सभाओं में तैयार किया जाय और उस पैनल के आधार पर जजों की बहाली वहां पर की जाय। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या हाई कोर्ट के ऊपर पार्लियामेन्ट का और विधान सभाओं का नियंत्रण रह सकता है और तब ही जनता का निर्णय सर्वोपरि हो सकता है। इस तरह से जनता के हाथ में प्रभुसत्ता आ सकती है और जब तक यह नहीं होता है, तब तक जो प्रभुसत्ता है, वह न्यायालयों में चली जाती है। इस समय यह चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में नहीं है।

उपसभापति महोदय, इस सिलसिले में आज देश की आर्थिक, सामाजिक हालत में परिवर्तन करने के लिए और भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जैसे महंगाई को दूर करने की बात की जाती है, पहले भी की गई है, लेकिन अब तक का तजुर्बा है कि वह महँगाई लगातार बढ़ती चली गई है और अभी भी इसको दूर करने के लिए जो कदम उठाने की बात की जा रही है वह नाकाफी है, वह कारगर नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए और कारगर कदम उठाने के लिए न केवल डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर चेक करना है, न केवल मुद्रा प्रसार को रोकना है, न केवल आज जनता की जरूरत की चीजों के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी और कर लगाया जाता है, जिसकी वजह से जनता की जरूरी चीजों की महँगाई बढ़ती है, उसको कम करने की जरूरत है, बल्कि यह भी जरूरत है कि जनता के जीवन की जरूरी चीजें, उपभोक्ता वस्तुओं के कारखाने सरकार अपने हाथ में ले, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय, जैसे आज चीनी उद्योग है, कपड़े का उद्योग है, दूसरे उद्योग हैं। जो कन्ज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं, वस्तुओं को तैयार करने वाले हैं, जहां जनता के जीवन के लिए जरूरी चीजें बनती हैं, जिनकी न केवल महंगाई बढ़ती है, बल्कि जिनकी बड़े पैमाने पर जमाखोरी और चोर बाजारी चलती है उस पर रोक लगाने के लिए जरूरी है कि सरकार ऐसे उद्योगों को अपने हाथ में ले, उनका राष्ट्रीयकरण करे। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि अनाज के थोक व्यापार को भी वह अपने हाथ में ले। वह स्टेट कारपोरेशन के द्वारा भी किया जा सकता है, वह अब तक नहीं किया जा रहा है। साथ-साथ जहां तक चीजों के दाम तय करने का सवाल है, चीजों के दाम तय करने में भी बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, कारखाने के मालिकों को पूरी छूट दी जाती है। जो दाम तय भी किया जाता है, सरकार उसकी पूरी छानबीन नहीं करती कि सही माने में उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और जनता की आमदनी, जनता का रहन-सहन का स्तर देखते हुए उपभोक्ता वस्तुओं का क्या मूल्य दर तय होना चाहिए। दर तय करने में पूरी छानबीन ..... (*Time bell rungs*)

SHRI BHUPESH GUPTA : I noted. After he had spoken for seven minutes points of orders started. For point of orders, he should not suffer.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : F will give five minutes more,

**श्री भोला प्रसाद** : साथ-साथ मजदूरों की हालत में सुधार करने के लिए उनकी जो आवश्यकता पर आधारित कम से कम मजदूरी की मांग है उसको पूरा करना चाहिए, उसको अमल में लाया जाना चाहिए। सिद्धांत रूप में सरकार

[ श्री भोला प्रसाद ]

इसको कबूल कर चुकी है। जब ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में यह मांग मानी गई तो उसके आधार पर सरकार भी इसको सिद्धान्ततः कबूल किया है, लेकिन आज तक इसको अमल में लाने के रास्ते में तरह-तरह की रुकावटें, तरह तरह की बाधाएं पेश की जाती रही हैं। जबकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों के रहन-सहन का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी हालत में खास तौर से जरूरी हो गया है कि मजदूरों की जो मजदूरी है, कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, उनके सम्बन्ध में भी आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का सिद्धान्त माना जाय और उस पर अमल किया जाय। अभी जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह भी काफी नहीं है,

3 P. M. बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुये।

इसलिये यह भी जरूरी है कि इसमें भी सुधार किया जाय। महंगाई एक स्थायी चीज बन गई है। इसलिये उसको बुनियादी तनख्वाह के साथ जोड़ा जाय।

जहां तक बेकारी को दूर करने का सवाल है, उसके लिये बहुत ही बुनियादी कदम उठाने की जरूरत है। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में और सरकार के एलान में 50 करोड़ रुपये की बात कही गई है। बेकारी के सवाल को हल करने के लिये इतना रुपया दाल में नमक के बराबर है। इससे बेकारी के सवाल को हल करने का कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता है। जो कुछ भी हुआ है वह ठीक है, लेकिन बेकारी की समस्या को हल करने के लिये जरूरत है कि कुछ बुनियादी कदम उठाये जायं। आज हमारे देश की जो आबादी है, उसमें से 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और वह खेती के ऊपर निर्भर है। खेत मजदूर और गरीब किसान जिनके गांवों की आबादी में बहुमत है, वे आज अर्ध-बेकारी के शिकार हैं। उनके अतिरिक्त वहां के पढ़े लिखे नौजवान आज पूरे बेकार होकर शहरों के चक्कर काटते हैं, शहरों की खाक छानते है और उनको कोई काम नहीं मिलता है। इसलिये सबसे बड़ी जरूरत यह है कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिये कोई बड़ा बुनियादी सुधार किया जाय। आज 9 करोड़ एकड़ ऐसी जमीन है, जो सरकार के कब्जे में है और पड़ती पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त बहुत सी जमीन बड़े-बड़े जमींदारों, धनी लोगों और पूंजीपतियों ने नाजायज तरीके से अपने कब्जे में कर रखी है। सरकार ने बार-बार यह एलान कर रखा है कि यह जमीन खेत मजदूरों, भूमिहीन किसानों में बांट दी जायगी, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो सका है। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जमींदारों के पास जो हदबन्दी से फाजिल जमीन है, उसका बटवारा भूमिहीन खेत मजदूरों और गरीब किसानों में होना चाहिये, जिससे उनको अपनी जीविका का साधन मिल सके, वे अपने देश की पैदावार को बढ़ा सकें और उनकी जो अर्ध बेकारी की समस्या है, वह हल हो सके। यह तभी हो सकता है जब हदबन्दी के मौजूदा दर को कम कर, फाजिल जमीन का शीघ्र बंटवारा किया जाय। सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य सरकारों पर इसके लिये दबाव डाला जायगा। लेकिन यह दबाव किस ढंग से डाला जायगा, यह पता नहीं है। इसके लिये जरूरी है कि सरकार कोई कारगर कदम उठाये।

जमीन का बंटवारा करने का तो एक काम है ही। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये यह भी जरूरी है कि किसानों को खेती के लिये आवश्यक कर्ज, बीज, सिचाई की सुविधाएं और दूसरे साधन बड़े पैमाने पर दिये जायं। अगर किसानों को जमीन मिलती है और उसके साथ-साथ उनके लिये सिचाई की व्यवस्था होती है, बीज, खाद, कर्ज और दूसरे आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जाते हैं, तो आज जहां पर एक फसल होती है, जहां पर जमीन पड़ती पड़ी है, वहां पर तीन-तीन और चार-चार फसलें होंगी। यह ठीक है कि बहुत जगह ये सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, जोकि देश में खेती के छः प्रतिशत हिस्से तक ही सीमित है। तो ये सुविधाएं पूरे देश के लिये बहुत आवश्यक हैं। और इसलिए जरूरी है कि अगर इस तरह से खेती की व्यवस्था में तरक्की होगी, तो बेकारों का एक बड़ा सवाल गांवों में हल हो जायगा और न केवल खेत मजदूर, गरीब किसान, बल्कि मध्यम किसानों में पढ़े लिख नौजवान भी आधुनिक तरीके अपना कर खेती के काम में लगेंगे और उसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी और वे मशीनों को इस्तेमाल करेंगे, पम्पिंग सेट्स का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके पैदावार को बढ़ायेंगे और शहरों में बेकार बन कर नहीं भटकेंगे।

इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि अभी मौजूदा जो लोग काम में हैं, उनके काम की

सुरक्षा की जाय क्योंकि बड़े पैमाने पर मजदूरों की छंटनी अभी भी हो रही है। जबरन तालाबंदियां लागू की जाती हैं और इस तरह से बेकारों की समस्या को बढ़ाया जा रहा है और हजारों हजारों लोग जो आज काम में लगे हैं उनको बेकार बनाकर सड़कों पर निकाला जा रहा है। तो इसपर कारगर तरीके से रोक लगानी चाहिए तभी हम बेकारों की समस्या को हल करने में कामयाब हो सकते हैं।

**श्री उपसभापति** : अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री भोला प्रसाद** लेकिन मैंने जो बुनियादी कदम उठाने की बात कही है उसके लिए हमें कुछ ठोस काम भी करने पड़ेंगे।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** (बिहार) : आपकी बात सुनेगी सरकार

**श्री भोला प्रसाद** वह बात तो सरकार से पूछिये। इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में जो विदेशी पूंजी लगी हुई है उसके जरिये हमारे देश की कमायी विदेशों में जा रही है, उसको हमें अपने हाथों में लेना चाहिए। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसके अलावा बाकी जो विदेशी बैंक हैं उनका भी राष्ट्रीरकरण किया जाना चाहिए और दूसरे जो देशी बैंक हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आज जो एकसौ करोड रुपये से ज्यादा मुनाफा देश के बाहर जा रहा है उसको रोककर उसे देश के विकास कार्य में लगाना चाहिए जिससे कि देश में साधन की समस्या का हल निकल सके।

इन कामों को करने के साथ साथ हमारे जो बड़े बड़े.....

**श्री राजनारायण** श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या जानबूझकर इस सदन में असत्य भाषण करने की आप आज्ञा प्रदान करेंगे ?

**श्री उपसभापति** क्या असत्य भाषण है ?

**श्री शीलभद्र याजी** : आप ऊटपटांग बोलते रहते हैं और हम बर्दाश्त करते रहते हैं। क्यों उनको इजाजत दी जाती है बोलने के लिए, मैं यह जानना चाहता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Do not interrupt please.

**श्री राजनारायण**: चौदह बैंकों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया है.....।

**श्री उपसभापति** : राजनारायणजी, आप बैठिये।

**श्री राजनारायण** : सारे सुप्रीम कोर्ट में हमने बहस की, यहां कुमारमंगलमजी बैठे हैं।

**श्री उपसभापति** : इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

**श्री राजनारायण** : यह बड़ा वैलिड प्वाइंट आफ आर्डर है। यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, यह सरकारीकरण है। इसको राष्ट्रीयकरण कहना राष्ट्रीयकरण शब्द के साथ बलात्कार करना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No point of order.

**श्री शीलभद्र याजी** : क्या बदतमीजी की बात बोलते हो। अनापशनाप बातें करते हो।

**श्री उपसभापति** : आप बैठिये। बीच में बोलिये नहीं।

**श्री राजनारायण** : आप उनसे कहें कि वे कोई अक्ल की बात करें। मैं उनकी उम्र की इज्जत करता हूं। आप शीलभद्रजी को रोकिये।

**श्री उपसभापति** : शीलभद्रजी, आप बैठ जायं।

**श्री शीलभद्र याजी** : मैं बैठ जाता हूं।

**श्री उपसभापति** : राजनारायणजी, आप बैठ जाइये, मैंने आपको सुन लिया है।

There is no point of order. Please sit down.

**श्री राजनारायण** : आपने सुन लिया, तो उस पर आपने व्यवस्था क्या दी ?

[ श्री राजनारायण ]

आप उसे सरकारीकरण कहिए, आप उसे अधिग्रहण कहिए ।

**श्री शीलभद्र याजी** : श्रीमन् .....

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Sheel Bhadra Yajee, please sit down. Mr. Rajnarain, please sit down. There is no point of order. Let him continue his speech.

**श्री शीलभद्र याजी** : बैठ जाइये ।

**श्री राजनारायण** : देखिये आपका अपमान हो रहा है । शीलभद्र याजी आपको कह रहे हैं कि बैठो । उनको कुछ तो सिखाइये ।

**श्री शीलभद्र याजी** : फिर कहते हैं । बार बार उठ जाते हैं । बैठो ।

**श्री राजनारायण** : आप उनको रोकिये । फिर कह रहे हैं बैठ जाओ ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN Please sit down.

**श्री राजनारायण** : यह आदमी बेसमझी की बात करता है, पता नहीं कहां से आ गया ।

**श्री भोला प्रसाद** : श्रीमन्, इसके बाद मैंने इसमें कहा है कि जो पूंजीपति हैं, खास तौर पर रामनाथ गोयनका, डालमिया जैन और अन्य दूसरे पूंजीपति हैं, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के अभियोग हैं वह रिपोर्टों में आये हैं और उसके लिये जरूरी है कि सरकार फौरन उसके बारे में इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्यवाही करे । देखिये, श्री गोयनका के बारे में क्या कहा गया है ।

**चौधरी ए० मोहम्मद** (बिहार) : राइट आफ इम्पलायमेंट फंडामेंटल राइट में आना चाहिये या नहीं आना चाहिये यह बताइये । यह आप बोल दें, तो अच्छा रहेगा ।

**श्री भोला प्रसाद** : देखिये, इसमें यह है :

According to the Reserve Bank of India notification dated 29th Oct. 1966, no non-banking financial company can accept deposits in excess of 25 per cent of the aggregate of its paid-up capital and free reserves. This notification however makes an exception in respect of loans guaranteed by directors. In case of Goenka Group of companies, Express Newspapers Private Limited itself received deposits from the public to the tune of Rs. 12 lakhs. In addition, three Goenka Newspaper companies, viz. Indian Express Newspapers, Bombay, Indian Express Madurai and Andhra Prabha, Vijayawada, have taken unsecured loans from public of a value of more than Rs. 7 crores. This is evident that the Goenka Grdup of companies have been accepting deposits far above and indeed several times the limit allowed by the Reserve Bank's notification.

श्रीमन्, इस तरह के प्रमाण हैं । कई और भी प्रमाण हैं । तो इनके आधार पर इन लोगों के माल प्रैक्टिसेज की, इनके भ्रष्टाचार की, इनके घोटाले की, कानून के खिलाफ इन्होंने जो कुछ किया है उसकी, उनके मुनाफे और उनकी नाजायज हरकतों की जांच करके उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये । (*Time bell rungs*)

तो आज यह जरूरी है कि जो भी काम हमने बताये हैं उनको करने की जिम्मेदारी यह सरकार अपने ऊपर ले ।

**श्री उपसभापति** : अब आप खत्म कीजिये ।

**श्री भोला प्रसाद** : इसी तरह से मेरा कहना है कि प्रशासन के ढांचे में भी परिवर्तन किया जाय क्योंकि आज जो प्रशासन का ढांचा है उसमें और अंग्रेजों के जमाने में जो प्रशासन का ढांचा था उससे कोई बड़ा मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है । अंग्रेजों के जमाने में जो प्रशासन के अन्दर नौकरशाह अफसर थे उनका दो मुख्य काम था, एक तो रेवेन्यू वसूलना और दूसरा आजादी के लिये लड़ने वाली देश की जनता को दबाना । ये इसका मुख्य काम था । आज जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे देश के सामने निर्माण का काम है, आज हमारे सामने विकास का काम है, आज हमारे सामने जनता के रहन-सहन को ऊंचा उठाने का काम है, आज हमारे सामने हजारों ऐसे विकास के काम हैं, ऐसे रचनात्मक काम हैं, जिन कामों को करने के लिये यह जो पुराना नौकरशाही ढांचा है वह उपयुक्त नहीं है, हम सरकार की ओर

मे जो भी फैसला करें, सरकार जो भी नीति बनाये, यह उसको अमल में नहीं ला सकती है। उसको अमल में लाने के लिये प्रशासन के ढांचे में परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इस काम को हमें शुरू करना चाहिये।

**श्री उपसभापति** : अब आप बैठिये।

**श्री शीलभद्र याजी** : चेयर की इजाजत मानिये।

**श्री भोला प्रसाद** : एक मिनट में खत्म करता हूं। मैं कह रहा था कि खास तौर से केन्द्र में और राज्यों में सरकार के अन्दर जो सेक्रेटरी कमिटी है, जहां सिविल सर्विस के आफिसर्स बैठ हुये हैं, जो कि पुराने अंग्रेजों के जमाने के तरीके से काम करते हैं उनको हटाकर यह जरूरी है कि हम प्रशासन के ढांचे में परिवर्तन करें।

**श्री उपसभापति** : अच्छा, अब आप बैठ जाइये।

The questioi was proposed.

SHRIJAGHISH PRASAD MAT-HUR (Rajastha 1) : Sir, I move :

2. "That n the Resolution in lines 1-3, for he words 'the defeat of Right Re iction, and the clear mandate whicli our people have given in the recent elections to the Lok Sabha and in ( eference to this mandate the following words be substituted, namely—

'The sue ess achieved by Shri SanjivayyaV Congress by exploiting official Machinery and through the misuse if power and due to inaccuracies in electroal rolls and by resortint to unfair means in conducting ths polls.' "

3. "That ; ihe end of the Reso lution, the following be added, namely :-

(10) reduction of age of franchise from 21 years to 18 years.

(11) con ,titutional recognition of the Right to Work and provision of appropriate unemployment allowance to the unemployed;

(12) granting of interest free loans to the farmers owning uneconomic holdings, for a period of five years;

(13) distribution of all the fallow land in possession of Government by the 2nd October, 1971, giving preference to persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(14) developing the atom bomb within a period of one year."

SHRI J. P. YADAV : Sir, I move:

4. "That in line 1 of the Resolution for the words 'the defeat of Right Reaction and' the words 'the fact that through the Radio and the Television and the use of money, Government machinery and fake ballot papers' be substituted."

5. "That at the end of item No. 4 of the Resolution the words 'and acceptance of the right to work as a fundamental right and provision for unemployment allowance' be added."

SHRI S. D. MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I move :

6. "That at the end of the Reso lution, the following be added, namely :-

(10) imposing a capital levy on all accumulation of wealth over and above the statutory minimum to be decided by Parliament;

(11) setting up of a statutory corporation to control and manage the All India Radio and Television;

(12) Socialisation of whole-sale foodgrains trade;

(13) constitution of a land army for the rural working class;

[ Shri S. D. Misra.]

(14) effective steps to ensure minimum needs of life to the population by 1975-76;

(15) transfer of adequate powers to Panchayat raj institutions;

(16) reconstitution of Election Commission by a tribunal of three persons of the status of a High Court Judge:

(17) converting of public sector into labour-managed and partnered institutions; and

(18) ensuring a house within 10 years to every family in the country'."

The questions were proposed.

**श्री राजनारायण** : हमारा अमेन्डमेन्ट क्या हुआ ?

SHRI DAHVABHAI V. PATEL : What about my amendment, Sir ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is not in order.

SHRI DAHYABHA1 V. PATEL : It is as a logical corollary to all the nine points that 1 have given notice of it. I only wanted to make one thing clear that at the end of it, it may be added that the Parliamentary Committee should have a committee Chairman. So it will make the thing complete. You have given so many points. Make it complete by having a committed Chairman.

SHRI BHUPESH GUPTA : I should like to add, "Committed clearly against the Swatantra Party."

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, हमारा अमेन्डमेन्ट ?

**श्री उपसभापति** : वह 5 मिनट पहले यहां पर आया है ।

**श्री राजनारायण** : हमारा अमेन्डमेन्ट आपका यह प्रस्ताव आने के पहले आ गया । यह बोलना शुरू किए, उसके पहले आया ।

**श्री उपसभापति** : नहीं पांच मिनट पहले यहां आया है ।

**श्री राजनारायण** : एक तो छोटा सा अमेन्डमेन्ट हमने केवल कृष्ण को दिया, एक आपकी खिदमत में भेज दिया . . .

**श्री उपसभापति** : छोटासा, कौनसा ?

**श्री राजनारायण** : देखिए, संसदीय प्रणाली कहती है कि जब तक प्रस्ताव पर कोई बोल रहा है, अमेन्डमेन्ट नहीं लाए गए, तो अमेन्डमेन्ट मूव्ह किया जा सकता है । जब आपने दूसरे लोगों को अमेन्डमेन्ट मूव्ह करने के लिए अनुमति दी, तो हमारा अमेन्डमेन्ट तो बिलकुल शुद्ध, वैलिड, अमेन्डमेन्ट है, उसको आप समझिए मूव्ह कर दिया है ।

**श्री एस० डी० मिश्र** : साहब, सर्कुलेट नहीं हुआ है । हम लोगों को पढ़कर बता दें ।

**श्री उपसभापति** : पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है । आपने कहा कि अमेन्डमेन्ट शुरू में दिया था, तो उसमें कुछ साफ नहीं था, जो छपी हुई यहां की अपनी लिस्ट आफ बिजनेस है उसमें है, न दस्तखत है न कुछ है । यह तो अमेन्डमेन्ट और जो दूसरी चीज आपने दी वह पांच मिनट पहले दी । अगर छोटा अमेन्डमेन्ट होता, कुछ समझ में आता और कुछ होता । यहां पर सेवरल अमेन्डमेन्ट्स् है । बीन प्रोसेस्ड अकार्डिंग टु द प्रोविजहेन्वस आफ द रूल्स आर नाट, देट हैज टु बी सीन । यह सब देखा जा सकता है । अब आप बेवक्त अमेन्डमेन्ट लाए हैं ।

**श्री राजनारायण** : हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, सुनिए. . .

**श्री उपसभापति** : इसलिए उस अमेन्डमेन्ट को मूव्ह करने की अब जरूरत नहीं है । राजनारायणजी, आपको पता था कि यह प्रस्ताव आज सदन के सामने आ रहा है । तो जैसा सभी लोगों ने अपने अमेन्डमेन्ट्स् दिए, उसी मुताबिक आप भी यहां पर दे सकते थे, आज सबरे 10 बजे से 11 बजे तक आप यहां पर थे आपने उस

समय कोई संशोधन नहीं किया । जब भाषण शुरू हुआ, भाषण शुरू होने से पांच मिनट पहले लोबी में दिया है । यह कोई तरीका नहीं है । संशोधनों को सहमति देना मुश्किल काम होता है । ऐसी हालत में आपका संशोधन अलाऊ नहीं किया जा सकता है ।

**श्री राजनारायण** : देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्था आप दें वह ऐसी साधु-संगत व्यवस्था हो, जिसको मानने से संसद की शोभा बढ़े, जिसको मानने से संसदीय प्रणाली स्पष्ट हो, जिसको मानने से लोकतंत्र की प्रतिष्ठा हो । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय प्रणाली में जब तक कि संकल्प रखा जा रहा है, इस सदन में कभी भी कोई संशोधन नहीं दिया गया है ? इसी सदन में तत्काल और एकाएक संशोधन दिए गए हैं, आपके ही सचिवालय ने एकाएक टाइप करवा के संशोधन की कापियां बांटी हैं । हम तो विरोध-पक्ष के हैं जिनके पास साधन नहीं है । बराबर दुनिया की सभ्य संसदीय परम्परा में यह बात मानी गई है कि जब तक संशोधन पर चर्चा न हो, संकल्प हो रहा हो, तो संशोधन दिया जा सकता है । हमने संशोधन की चर्चा होने के पूर्व जब तक संकल्पकर्ता बोलता रहा उसके पहले हमने अपना संशोधन भेज दिया था । अब अगर कोई कहे कि यह संशोधन समझ में नहीं आता है, तो मैं समझाऊंगा और साथ ही अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें । श्रीमन्, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे इस संशोधन को पढ़ने की जरूरत नहीं है । अगर आप हुक्म देंगे, तो हम पढ़ देंगे । यह अभी खत्म नहीं होने जा रहा है, इसके बाद भी आयेगा । हमारा संशोधन बाकायदा स्टेनसिल होकर....सबको बंट जाय । क्या मैं अपना संशोधन पढ़ दूं ।

**श्री उपसभापति** : पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

**श्री राजनारायण** : नियम के तहत मैं अगर पहिले से कोई काम. . .

**श्री उपसभापति** : ऐसा कोई नियम नहीं है ।

**श्री राजनारायण** : बिल्कुल नियम के तहत में है । देखिये, हमने यह कहा है ।

**श्री कल्याण चन्द** (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, हमारा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है । जब आपने उनका संशोधन नहीं माना है, तो फिर उनको यह अधिकार नहीं है कि वे उसको पढ़ें या उसके संबंध में कुछ कहें ।

**श्री राजनारायण** : आप उनको समझाइये ।

**श्री उपसभापति** : श्री राजनारायणजी, आप बैठ जाइये । श्री शीलभद्र याजी आप अपना भाषण जारी करें ।

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, मैं अपना संशोधन पढ़ना चाहता हूं ।

**श्री उपसभापति** : आप नहीं पढ़ सकते हैं और मैंने याजी को बोलने के लिए कहा है ।

(*Interruptions*)

**श्री राजनारायण** : हमारा जो संशोधन है उसको जरूर हम पढ़ेंगे । चेयर को यह अधिकार नहीं है कि वह हमें पढ़ने से रोके ।

**श्री उपसभापति** : यह कहने की जरूरत नहीं है । राजनारायण जो कुछ कहते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है । श्री याजी आप अपना भाषण जारी रखें ।

**श्री शीलभद्र याजी** : उपसभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है उसकी मैं ताईद करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया है उसको सरकार को मान लेना चाहिये । (**इन्टरपशन्स**) ये तो बेशर्म है, बेहूदा है ।

**श्री उपसभापति** : श्री राजनारायणजी, आप बैठिये और याजी को अपना भाषण करने दीजिये । (**इन्टरपशन्स** ।)

**श्री शीलभद्र याजी** : इन्हें तो मार्शल को बुलाकर सदन से निकलवाना चाहिये । मैं सदन में इनको निकालने के बारे में प्रस्ताव करता हूं और आप इन्हें जल्द से जल्द निकलवाइये ।

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, आज 8 लाख आदमी पूर्वी बंगाल में कत्ल हो चुके हैं । अगर आप हमें मार्शल को बुलाकर निकलवायेंगे । (*Interruptions*) ये लोग तो इन्दिरा के चाटूकार हैं, इन्दिरा के दलाल है और राज्य सभा की महिमा और गरिमा को गिराने के लिए भेजे गये हैं । (*Interruptions*)

**श्री उपसभापति** : आप बैठ जाइये ।

**श्री राजनारायण** : आप व्यवस्था दें शील-भंग को ।

**श्री उपसभापति** : हमने बुलाया है शीलभद्र को ।

**श्री राजनारायण** : वह शीलभद्र नहीं, शीलभंग है ।

**श्री शीलभद्र याजी** : माननीय डिपूटी चेयरमेन महोदय, मैं इस प्रस्ताव की ताईद करते हुए. . .

**श्री राजनारायण** : अब यह बोलने लगे, पहले इनको बोलना तो सिखाइए ।

**श्री शीलभद्र याजी** : आप किसी को बोलने नहीं देते, चुप रहिए, शांति से सुनिए । साथ भोलाजी ने. . .

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : Who is superior, Sheel Bhadra Yajee or Rajnarain ?

**श्री शीलभद्र याजी** : तुम चुप रहो, राजनारायणजी ।

**श्री राजनारायण** : हमने इसीलिए कहा कि आप इसको अपने नीचे बिठाओ, तब इसका भाषण हम सुनेंगे । यहां आकर बोलो ।

**श्री शीलभद्र याजी** : डिपूटी चेयरमेन महोदय, इस तरह से जो चुनाव के बाद नतीजे आए हैं उसके बाद हमारे साथी भोला प्रसादजी ने जो यह संकल्प सदन के सामने रखा है मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत मौजूं है । राजनारायणजी उछलते हैं, कूदते हैं, क्योंकि गलती से थे तो समाजवादी, हो गए वामपक्षी, हो गए वाममार्गी, वाममार्गी से चले गए ग्राण्ड एलाएन्स में स्वतंत्र पार्टी के साथ, जनसंघ के साथ, उनसे मिलने के बाद इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई । इनको तो खुश होना चाहिए था । जीत किसकी हुई ? इलेक्शन में जो प्रधानमंत्री ने. . .

**श्री राजनारायण** : कौन प्रधानमंत्री ?

**श्री शीलभद्र याजी** : प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ।

**श्री राजनारायण** : उनको आप श्रीमती इन्दिरा नेहरू कहिए, पूरा नाम लीजिए ।

**श्री शीलभद्र याजी** : शांति से सुनिए ।

**श्री राजनारायण** : देखिए इस दिनमें मैं जब तक रहूंगा, प्रधानमंत्री का अनादर हो, उनका आधा नाम लिया जाय यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ।

**श्री शीलभद्र याजी** : तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिन्दुस्तान की जो जनता है उससे हमें आदेश लेना है और यह आदेश लेना है गरीबी मिटाने के लिए । आप कहते हैं इन्दिराजी को हटाओ, वह जीत गई, ये चित हो गए, लेकिन बेशर्मी में भूल जाते हैं । गरीबी हटाने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि यदि कांस्टीट्यूशन में, संविधान में कोई दिक्कत होगी, उससे समाजवाद के रास्ते में कुछ रुकावट होगी, तो हम उसमें परिवर्तन करेंगे । जनता ने उन्हें सिर्फ प्रचंड बहुमत ही नहीं दिया बल्कि दो तिहाई बहुमत दिया । पहले हम कोशिश करते थे इनको पकड़ें, उनको पकड़ें लेकिन जनता जनार्दन ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को दो तिहाई बहुमत दिया हाल के चुनाव में ।

**श्री राजनारायण** : फिर गलत नाम लिया ।

**श्री शीलभद्र याजी** : सुन लो भाई । जनता जनार्दन ने उनको बहुमत ही नहीं दिया बल्कि दो तिहाई बहुमत दिया और उसके आधार पर भोलाजी ठीक ही प्रस्ताव लाए कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में एक वोट से भी ज्यादा हो जाय, तो उसे बहुमत कहते हैं ।

**श्री राजनारायण** : जैड० ए० अहमद कैसे हार गए ?

**श्री शीलभद्र याजी** : हमारे भी हारे, आपके भी हारे । इनकी कांस्टीट्यूएन्सी में मैं गया था, तमाम बम्बई के पूंजीपति, राजे-महाराजे, सबकी गाड़ियां, वेस्पा घूमते थे । इनकी मीटिंग में आदमी नहीं आता था, फिर भी बोलते थे, इतने बेशर्म हैं, हमने देखा है ।

**श्री नागेश्वर प्रसाद शाही** (उत्तर प्रदेश) : यह सदन झूठ बोलने का स्थान नहीं है ।

**श्री शीलभद्र याजी :** जनता जनार्दन ने बता दिया, 1,1 ,000 अधिक वोटों से राजनारायण जी हार गए । ऐसी चित खा गए कि अभी तक बेहोश हैं, यही बेहोश नहीं हैं, डाह्या-भाई बेहोश हैं, मिश्र जी बेहोश हैं और पूछते हैं कि जैड० ए० अहमद कैसे हार गए । बहुत लोगों की हार हुई । तो मैं कह रहा था कि दो-तिहाई बहुमत मिल गया ।

**श्री राजनारायण :** जैड० ए० अहमद ने ग्रान्ड एलाएन्स नहीं की थी, वे कैसे हार गए । तुम्हारे प्रधान मंत्री को सिर्फ 1,03,000 ही वोट पड़े । तुम हमारे यहां गए थे तो बराबर कहते थे, राजनारायण राज्य सभा के मेम्बर हैं. . .

( *Interruption* )

**श्री शीलभद्र याजी** : बदतमीजी से बात मत करो, तुम हमारे सामने छोकरे हो ।

**श्री राजनारायण :** यह मैं मानता हूं, शीलभद्र जी मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनकी अक्ल की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी तूफाने-बदतमीजी का विरोध करता हूं ।

**श्री शीलभद्र याजी :** जनता जनार्दन ने दो तिहाई बहुमत हमें दे दिया और अब हम संशोधन कर सकते हैं । गोलकनाथ केस में चाहे जो कुछ कहा गया हो लेकिन संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि दो तिहाई मत से संशोधन करने का हमको अधिकार है । दो तिहाई मत से हम संविधान में कोई भी तरतीम कर सकते हैं । उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स में या डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स में हम कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं । हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कभी-कभी अपने दायरे से भी बाहर निकल-आते हैं । हम लोग संविधान को तोड़ते हैं तो उसके लिये हम को दोषी ठहराया जाता है । लेकिन यदि सुप्रीम के जज ही संविधान की अवहेलना करें तो उसका इलाज कौन करेगा । गोलकनाथ केस में छः और पांच का निर्णय हुआ था कि हम फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहां संविधान में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स में या डाइरेक्टिव प्रिंसिपुल्स में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं ।

**श्री पीताम्बर दास** (उत्तर प्रदेश) : ये कानून की बारीकियां हैं, इनमें मत जाओ, नहीं तो फंसे ही रह जाओगे ।

**श्री शीलभद्र याजी :** जो कानून की बाल की खाल खींचते हैं वही देश को तरक्की नहीं करने देते हैं । यदि ऐसे-ऐसे कानूनदां बाल की खाल निकालते रहे, तो हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है ।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** संविधान में संशोधन क्या इसी प्रकार भाषण करने से हो जायगा ।

**श्री शीलभद्र याजी** : Parliament is supreme, not the Supreme Court. Listen to me. सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई अधिकार नहीं है यह कहने का. . .

**श्री राजनारायण :** तो उनको निकाल दो ।

**श्री शीलभद्र याजी :** हम संसद के सदस्य दो तिहाई बहुमत से किसी भी आर्टिकल का संशोधन कर सकते हैं । यह हमारा अधिकार है । गोलकनाथ केस में उनको यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसी लिये नाथपाई जी इस प्रकार का संशोधन लाये थे जो अभी तक पास नहीं हो पाया । अब हम को मेजारिटी मिल गई है । मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि हमने फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया और मुआवजा देकर प्रापर्टी लेनी चाही, तो एक प्रधान मंत्री क्या, सौ प्रधान मंत्री भी समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकती हैं । अब हमारा कांस्टीट्यूशन जो है वह क्या है । वह चू चूं का मुरब्बा है । उसमें किसी को भी लूटने की आजादी है । [*Interruption*] हमने 22 बार संविधान में संशोधन किया है । वह कोई कुरान शरीफ या मनुस्मृति नहीं है । वह कोई ऐसी पवित्र चीज नहीं है कि उसमें हम कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं । वैसे हम भी यह मानते हैं कि राइट आफ प्रापर्टी रहेगी, लेकिन लिमिटेड रहेगी । लोगों की व्यक्तिगत जितनी प्रापर्टी है वह हम छीनने नहीं जा रहे हैं । और उनको चूसने के लिए, उनका शोषण करने के लिये जो राजे-महाराजाओं का गुणगान करते हैं, जो प्रिवीपर्सेज और उनके विशेषाधिकारों को चलाना चाहते हैं,

[ श्री शीलभद्र याजी ]

जो राजे महाराजाओं और पूंजीपतियों को मुआवजा दिलाना चाहते है, वह मुआवजा नहीं देंगे.....

**श्री राजनारायण :** कांस्टीट्यूशन चू चू का मुरब्बा है, यह उन्होंने कहा है।

**श्री शीलभद्र याजी :** हां, मैंने कहा है। कुछ, हम ने इधर का लिया, कुछ उधर का लिया है उसमें। मैंने ठीक ही कहा है।

**श्री राजनारायण :** कांस्टीट्यूशन की कुछ धारायें समाज की प्रगति में बाधक हो सकती है। कांस्टीट्यूशन के कुछ अनुच्छेद समाज की प्रगति के रास्ते में बाधक हो सकते है, उसमें बाधा डाल सकते है, मगर यह कहना कि कांस्टीट्यूशन चू चू का मुरब्बा है, यह ठीक नहीं है। यह संविधान चू चू का मुरब्बा नहीं है।

**श्री शीलभद्र याजी :** यह क्या है, क्या मैं यह समझा दूं। जरा सुनिये।

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, इन्दिरा गांधी की तमाम शिकायतों और कमियों का दोष कांस्टीट्यूशन पर दे दिया जाय यह एक वितंडावाद देश में खड़ा किया जा रहा है। हमको मालूम है कि कांस्टीट्यूशन को बदलना है, लेकिन कांस्टीट्यूशन में कुछ अच्छी बातें भी हैं।

**श्री शीलभद्र याजी :** होच-पोच का मतलब है कि हमने सब कंट्रीज की कुछ न कुछ बातें इसमें रखी हैं, इसीलिए हमने इसको होच-पोच कहा। अगर उनको इस शब्द पर आपत्ति है, तो मैं इसको वापस लेता हूं।

**श्री उपसभापति :** आप अपना भाषण जारी रखें।

**श्री शीलभद्र याजी :** तो मैं यह कह रहा था कि कांस्टीट्यूशन में आज मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हम अपने सारे कल कारखानों का, जो सारे उद्योग हैं और जो बैंक और विदेशी कंसर्न हैं, उनका समाजीकरण करें और उनको मुआवजा और क्षतिपूर्ति और कम्पेसेशन दें, तो वह समाजीकरण क्या, यह तो उनको खरीदना हुआ। इसलिए मुआवजा देने का जो क्लाज है उसको तो डिलीट करना चाहिए, एक दम और मुआवजा इस रूप में देना चाहिए कि जैसे कामरेड लेनिन ने भी कहा था कि सभी चीजों का यदि आप समाजीकरण करें तो जितने पूंजीपति और उनके काम करने वाले है, जो कल कारखाने चलाने वाले हैं, उनको पैड सेलरी देकर उनसे काम लिया जाय। जो मौजूदा आई० सी० एस० और आई० पी० एस० आपने वहां भेजे हैं उनको कोई तजुर्बा नहीं होता और उसका फल आप देखते हैं कि उन कारखानों में घाटा हो रहा है और हमारे जनसंघ वालों को कहने का मौका मिलता है कि उनके रहने से ही वहां घाटा हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को भी मौका दें। हमारे साथी भोला जी ने जो यह नौ सूत्री कार्यक्रम बतलाया. . .

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** यह आपके साथी कब से हो गये?

**श्री शीलभद्र याजी :** हमारे साथी तो आप भी है, लेकिन मिस गाइडेड हैं। इस सदन में सभी हमारे साथी है। तो मैं यह कह रहा था कि हमारी पार्टी को जो जनता ने दो-तिहाई बहुमत दे दिया है, उसके बाद इस सरकार के सामने और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इस प्रस्ताव को हम मानें और यह जो 9 सूत्री कार्यक्रम है उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाय। हमारा जो कांस्टीट्यूशन है, हमारा जो दस्तूर है, हमारा जो संविधान है, उसमें मौलिक परिवर्तन के लिए इस सुझाव के अनुसार हम उसमें जल्दी से जल्दी परिवर्तन करें. . .

**श्री राजनारायण :** क्या बात है? जल्दी से जल्दी के माने क्या?

**श्री शीलभद्र याजी :** इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वाम मार्गी है। हमारी बात को समझते नहीं हैं। लेकिन हम को तो समझाना है।

**श्री राजनारायण :** हमारी बात का आप जवाब दीजिए। जल्दी से जल्दी के मायने क्या?

**श्री शीलभद्र याजी :** इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान में परिवर्तन अगले बजट सेशन में लाया जाय और अगले बजट सेशन में उसमें तरमीम लाकर इंडिया को हम एक सोशलिस्ट रिपब्लिक डिक्लेयर करें। जितने मीन्स आफ प्रोडेक्शन हैं, उन सबका बिना मुआवजा दिये समाजीकरण किया जाय और इस काम को हमारे प्रधान मंत्री को और हमारे सदन को जल्दी से

जल्दी करना चाहिए इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं। जयहिन्द।

**श्री राजनारायण** : श्रीमन्, आप एक बात देखिये। प्रस्ताव में शब्द है राष्ट्रीयकरण और हमारे याजी जी ने समाजीकरण कहा है। इन्हीं शब्दों में अर्थ होता है। वे बिना समझे बोला करते हैं।

**श्री उपसभापति** : आप हर समय बोल देते हैं। आप बैठिये।

**श्री राजनारायण** : You do not understand what I try to say and without understanding you are saying something. मैं श्री शीलभ याजी जी की ताईद करता हूं कि उन्होंने समाजीकरण शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा।

**श्री उपसभापति** : आप हर समय बोलते हैं। जब जरूरत नहीं होती तभी भी बोलते हैं। अब बैठें आप।

**श्री राजनारायण** : सफाई नहीं होती तो आप अंधकार में रख कर प्रस्ताव पास कराते हैं।

**श्री उपसभापति** : जब भी आपको मौका मिला तब उठ कर आप बोलने लगते हैं। समाजीकरण, राष्ट्रीयकरण के बारे में ही कहने लग गये। जैसे आप ही सब जानते हैं और कोई जानता ही नहीं। यह ठीक नहीं

**श्री राजनारायण** : आप नहीं जानते समाजीकरण और राष्ट्रीकरण का फर्क बताइये। खाली आप हल्ला करना चाहते हैं।

**श्री उपसभापति** आप बैठिये, आप इस तरह से उठ कर बोलने लगते हैं।

**श्री शीलभद्र याजी** : समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण एक चीज है। मैं कहता हूं कि राष्ट्रीयकरण और समाजीकरण एक चीज है।

**श्री राजनारायण** : तो क्या सरकारीकरण और समाजीकरण में कोई फर्क नहीं, तुम्हारे और कुमारमंगलम् में फिर क्या फर्क है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या फर्क है ? बिना समझे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

**श्री उपसभापति** : आप बैठ जाइये।

**श्री एस० डी० मिश्र** : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भोला प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें नौ सूत्री कार्यक्रम उनका है और मैंने अपने संशोधन में और नौ सूत्री कार्यक्रम जोड़ने का प्रयास किया है और वह माननीय सदस्यों के सामने रखा गया है।

महोदय, किसी की जीत हो चाहे प्रतिक्रियावादी तत्वों की जीत हो चाहे प्रगतिशील शक्तियों की जीत हो, जीत तो एक दल की हुई है और उसको यह मौका लेना चाहिये, लेकिन मुझे लगता है कि वह यह मौका लेने वाला नहीं है। जब से 1967 ई० के बाद सदन बना उसके बाद से इस सदन में भी चर्चा होती रही, सरकार लोक सभा के विघटन के पहले बार-बार यह कहती आई कि हमारा बहुमत कम है, हम समाजवाद नहीं ला सकते, गरीबी नहीं हटा सकते, तो बहरहाल इसमें और बुराइयां चाहे कुछ हुई हों, चाहे जिस प्रकार से भी बहुमत हुआ हो, चाहे चुनाव के गलत तरीके से आ हो, चाहे रेडियो के गलत प्रचार से हुआ हो, चाहे सरकारी साधनों के उपयोग से हुआ हो, जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन यह सरकार को मौका मिला है कि बिना किसी दल की सहायता के लोकसभा में और शायद यहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से जिससे चोली दामन का ताल्लुक है, उनकी सहायता से सब कुछ कर सके, इसको पूरा अधिकार होगा और अगर इस देश में वह गरीबी हटा सके, तो हम विरोधी दल के लोग भी बहुत प्रसन्न होंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है।

नारा दिया गया, पोस्टर निकाले गये, बार-बार जो हम कहते थे उसमें से एक वाक्य निकाल कर कह दिया—वह कहते हैं कि इन्दिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ, आप किसको चुनते हैं बहरहाल विरोधी दल इन्दिरा को नहीं हटा सका। लेकिन मैं यह कहने वाला हूं कि यह सब नकली है, समाजवाद वाला नकली नकाब पहन कर समाजवाद नहीं ला सकते, गरीबी नहीं हटा सकते।

[I'm 'VICE CHAIRMAN (SHRI AKBAR AM KHAN) in the Chair]

आज क्या हालत है ? आज यह कहा जाता है कि कमिटेड जुडीशियरी हो। अभी तक तो पार्लियामेंट को कहा गया कि पार्लियामेंट में बहुमत नहीं है और अभी प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पहले

[ श्री एस० डी० मिश्र ]

जो बयान दिया, भाषण दिया उससे ऐसी ध्वनि निकलती है कि फिर किसी न किसी पर कोई न कोई दोषारोपण करके फिर गरीबी नहीं हटाई जायगी। और अब दोषारोपण के भोगी कौन होने वाले है ? कहा जा रहा है कि कमिटेड ब्युरोक्रेसी नहीं है। कहा जा रहा है कि कमिटेड जुडीशियरी नहीं है। समान बातें इस तरह की कही जा रही है। आपको किसने रोका है कि विधान में तरमीम करें। 1952 ई० से उसके बाद से विधान में कम से कम दो दर्जन बार संशोधन हुआ है। कब विधान का संशोधन गिरा ? केवल प्रिवीपर्स में कुछ वोटों से वह गिरा है। इस विधान के संशोधन में जिसको आप लाना चाहते है किसने रोका है, बहुमत आपका है और आप बहुमत लाकर पास कीजिये। जहां तक कि विधान में प्रगतिशील संशोधन का प्रश्न है, आप यकीन रखिये, आप इत्मीनान रखिये कि यह विरोधी दल आपके साथ रहेगा, किसी से पीछे नहीं रहेगा। आप यह इत्मीनान रखिये। केवल बार-बार प्रिवीपर्स का नाम लेना ठीक नहीं। अभी पांच छः दिन पहले की बात है, आप प्रिवीपर्स के सम्बन्ध में कहते हैं, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के जो कि वहां बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा अखबारों में--अब संजय गांधी प्रगति में आ रहे हैं--उनकी स्पीच पढ़ी होगी। अभी उन्होंने गाजियाबाद में कहा। उन्होंने विवेचना की कि प्रिवीपर्स अबालिश करके, उसको दूर करके जो साढ़े चार करोड़ रुपये हैं, उसका बटवारा किया जाए तो दस पैसे प्रति व्यक्ति इस देश में पड़ने वाला है। मैं यह नहीं कह सकता वह जरूरी नहीं है। और अगर आप जो बिल उस सूरत में लाएंगे तो हम लोग, कम से कम इधर जो हमारा दल है, उसको स्वीकार करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं हो, आप उस ढंग से लाएं तो। आपकी मति नहीं हो उस ढंग से लाने की तो हम क्या कर सकते है।

**उपसभाध्यक्ष जी**, मैं यह कह रहा था कि कोई कहते हैं कि उसका कमिटमेन्ट चाहिए। अभी याजी जी चले गए, मैं समझता था कि वह बैठे रहेंगे, कम से कम सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, बार-बार इस सदन में और उस सदन में भी इसके बारे में तर्क हुए हैं। कौन सुप्रीम है। कांस्टीट्यूशन सुप्रीम है, बिल्कुल सुप्रीम है, न कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, न जुडीशरी सुप्रीम है। श्री कुमारमंगलम् बैठ है यहां पर, वे बताएं कि क्या एग्जीक्यूटिव और जुडीशिरी को अलग रखना चाहते हैं या उसके सम्मिश्रण में चाहते है कि एग्जीक्यूटिव जुडीशिरी के ऊपर हावी हो जाए। एक ओर हमने संविधान में कहा सेपरेशन आफ एग्जीक्यूटिव एन्ड जुडीशिरी, दूसरी ओर कमिटेड जुडीशिरी लाने की बात, न्यायाधीशों में प्रभाव डालने की बात, कहीं जाए तो हमारे लिए अफसोस की बात होगी। लेकिन अगर सोच समझ कर इस तरह से संशोधन लाए जाएंगे, जिससे प्रगति हो सकती है तो इत्मीनान रखिए, हम स्वीकार करेंगे, हम रोडा नहीं अटकाएंगे। अभी तक हम आपके तरीके को देखते आए है। आप एम्प्लायमेंट की बात करते हैं। उसमें हम चाहते हैं--राइट टु वर्क, राइट टू लिव, राइट टु एम्प्लायमेंट--ये अधिकार लोगों को दीजिये। कुछ हो नहीं रहा है प्लानिंग कमीशन में। कम से कम 4 करोड़ व्यक्ति 1975 तक अन्-एम्प्लाइड रहेंगे और करीब-करीब 10 करोड़ व्यक्ति ऐसे होंगे इस देश में जो कि अंडर-एम्प्लाएड होंगे। और यह संख्या बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है, और आप करते क्या हैं कि अभी राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसमें कहा गया कि 50 करोड़ रुपये दिया है गरीबी हटाने के लिए--50 करोड़ रुपये। क्या तमाशा आप करने वाले हैं ? क्या आप इस तमाशे का डिमान्सट्रेशन दोनों सदनों में करके गरीबी हटाने वाले है ? कोई मौलिक योजना लाओ, जो काम. . .

THE VICE CHAIRMAN (SHR1 AKBER ALI KHAN) : I think, that is for unemployment, Mr. Misra.

**श्री एस० डी० मिश्र :** मैं अनएम्पलायमेंट की बात कर रहा हूं।

**श्री राजनारायण :** ठीक कहते हो। बेचारे बेकारी नहीं समझते।

**श्री एस० डी० मिश्र :** बेकारी तो अनएम्प्लायमेंट से हुई--सभापति महोदय बेकारी कहिए, बेरोजगारी कहिए--उर्दू का शब्द है आप ज्यादा समझते हैं; हमने बेकारी कहा। बहरहाल, अगर 50 करोड़ रुपये से बेकारी या बेरोजगारी या जिसे अनएम्प्लायमेन्ट कहते हैं इस देश में साल भर में दूर होने वाली हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने यह भी सोचा है कि वह 500 करोड़ या 300 करोड़, 400 करोड़ से भी दूर होने वाली

नहीं है। हमने अपनी वर्किंग कमेटी में अपने मेनीफेस्टो में बराबर 4 महीने से इस बात को कहा है कि पांच वर्षों में कम से कम ऐसी योजनाओं में जिसमें तत्काल रोजगार मिल सके, कम से कम 200 करोड़ रु० राज्यों में दिया जाए। लेकिन कांग्रेस (आर) ने सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस पर विचार भी नहीं किया, क्योंकि हम तो प्रतिक्रियावादी हैं, हम अच्छी बात कहें तो प्रतिक्रियावादी हैं। आप प्रतिक्रियावादी बात कहें, आप प्रगतिशील हैं।

**श्री महावीर त्यागी** (उत्तर प्रदेश) : अगर गरीबी हट गई तो इनको वोट कौन देगा?

**श्री एस० डी० मिश्र** : देखिएगा, यही गरीब लोग जो इस आशा में वोट दिए हैं कि गरीबी हटेगी, तो फिर इन्हीं पर रिकाइल करेगा, अगर गरीबी नहीं हटाई। इसलिए आपके हित में है कि आप गरीबी हटाएं। इसीलिए मैंने संशोधन भी पेश किया है कि अब एक लेवी लगाइए।

आपने कहा, अर्बन प्रापर्टी पर हम सीलिंग लगाएंगे, कैपिटल लेवी लगाइए, पूंजी पर आप टैक्स लगाइए, लेवी लगाइए और पूंजी कितनी अधिकतम हो या न्यूनतम हो, उसके लिए पार्लियामेंट से प्रस्ताव स्वीकार कराएं, उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये चीजें आप कर करा के आएं तो कैपिटल की सेविंग होगी, गरीबी उससे दूर होगी।

फिर हमने कहा है कि जो ए० आई० आर० है, उसका इतना ज्यादा मिसयूज हुआ है। क्या आप समझते हैं कि इस बार चुनाव में आप वोट मांगने गए थे तो किसने आपको जिताया है? ए०आई०आर० ने आपको जिताया है, और हमको हराया है तो इलेक्शन कमीशन ने। स्थिति यह है कि ए०आई०आर० बराबर झूठा प्रचार करता है और इस चुनाव में मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है और भी झूठा प्रचार करने लगा। ऐसे अनेक प्रमाण दिखाए जा सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार गिर गई, जिसमें टी० एन० सिंह मुख्य मंत्री थे। बहरहाल, उसमें कोई खास बात नहीं है, आप खुद जानते हैं, क्या है।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि 8 दिन पहले की बात है। नौ सदस्य संगठन कांग्रेस से सत्तारूढ़ कांग्रेस में चले गये थे। आल इंडिया रेडियो ने इस बात का तीन चार दिन तक लगातार प्रचार किया। उसमें से दो सदस्यों ने लिखित रूप में कहा था कि हम फिर संगठित कांग्रेस में वापस आ गये हैं। वहां के रेडियो के प्रतिनिधि को लिख कर दे दिया गया था कि दो आदमी फिर संगठन कांग्रेस में वापस आ गये हैं। अखबारों में तो यह बात आ गई थी, क्योंकि पी०टी०आई० और यू० एन०आई० के जो संवाददाता थे उन्होंने इस खबर को सब अखबारों में भेज दी थी लेकिन आज तक वह बात रेडियो में अभी तक नहीं आई। इस तरह से यह कमिटेड रेडियो हो गया, कमिटेड ज्युडिशियरी हो गई, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई, कमिटेड मेम्बर हो गये, कमिटेड आप हो गये और कमिटेड चेयरमेन हो गये।

**श्री कृष्ण कान्त** : कमिटेड अपोजीशन हो गया।

**श्री एस० डी० मिश्र** : आपके साथ ऐसा कमिटमेंट नहीं होगा। हम आपके साथ हैं और हम आपके दुश्मन नहीं है। हम विरोधी हैं आपकी गलत नीतियों के, लेकिन अगर सही नीतियां होंगी तो हम उसके समर्थक होंगे।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आल इंडिया रेडियो को अगर आपको सही बहुमत है और आप जनता की आवाज का आदर करना चाहते हैं, तो आल इंडिया रेडियो को और टेलीविजन को फौरन एक स्टैटुटरी कारपोरेशन में बदल दिया जाय, जिसमें सब लोगों को समान अवसर हो और विरोधियों को भी अवसर मिले और एक ही दल अपना प्रचार उनके जरिये न कर सके।

फिर मैंने कहा है कि जो फूड ग्रेन्स ट्रेड है, उसका सोशलाइजेशन किया जाय। आज क्या हो रहा है, गल्ले के संबंध में, क्या आप उसको देख रहे हैं। आज सुबह इस संबंध में प्रदर्शन किया गया था। जो गल्ले खरीदने वाले आढ़तिये हैं वे किसानों से तो एक भाव पर खरीदते हैं और दूसरे भाव पर स्टाक करते हैं। इस तरह से कंज्यूमर को जो मुनाफा मिलता है वह बीच में ही खा जाते हैं। इससे न कंज्यूमर्स को फायदा होता है और न ही प्रोड्यूसर को फायदा होता है। इस तरह से तो फूड ग्रेन का जो ट्रेड है, उसका सोशलाइजेशन नहीं कहा जा सकता है, मैं तो इसको एक मर्सनरी बाडी मानता हूं। इस बात पर आपको सोचना होगा कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर को उसका उचित फायदा मिलता है या नहीं। आज होलसेल प्राइसेज में और रिटेल प्राइजेस में जितना

[ श्री एस० डी० मिश्र ]

बड़ा अंतर है,उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि न इससे कंज्यूमर्स को ही फायदा पहुंचा है और न ही प्रोड्यूसर्स को ही फायदा पहुंचा है। इसके बाद मैंने रूरल मासेज के लिए कहा है, वर्किंग क्लासेज के लिए कहा है कि उनकी एक लैन्ड आर्मी बनाई जाय। मैं इसके सम्बन्ध में लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूं और थोड़े में ही निवेदन कर देना चाहता हूं। अगर हमने इसको कार्यान्वित किया तो लैन्डलैस लेबर में इस समय जो बेरोजगारी की समस्या है,वह थोड़ी कम हो जायगी।

फिर मैंने कहा है : "effective steps to ensure minimum needs of life to the *population by 1975-76*"

मैंने यह बात वही कही है जो संयुक्त कांग्रेस, सम्मिलित कांग्रेस ने दस प्वाइन्ट वाले प्रोग्राम को स्वीकार किया था और उसका मुख्य कार्यक्रम यह था 1975-76 तक न्यूनतम आवश्यकता इस देश की पूर्ति की जाय। यह सरकार जो अपने को प्रगतिशील सरकार कहती है और प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि हमें दस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिक्रियावादी लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा है । हमें इस बात में कोई विरोध नहीं है कि देश की जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये। लेकिन मेरा निवेदन है कि आपको मामिव विक्ट्री मिली है और अब आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि 1975-76 तक उस दस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करें, जिसके लिए ए०आई०सी०सी० कमिटेड थी। इस कार्यक्रम की पूर्ति होनी चाहिये और जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की मांग क्रियान्वित की जानी चाहिये।

मैंने जो डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर की बात कही है और कहा है कि पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन, कोआपरेटिव वगैरह के संबंध में जोर दिया जाय। मैं यह बात क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि पं० जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी विकेन्द्रीकरण की चर्चा होती थी।

पंडित जी गए, शास्त्री जी गए, उसके बाद इन पांच वर्षों में पंचायती राज और कोआपरेटिव्स की—उनमें कमियां हैं—चर्चाएं भी कम होने लगी हैं, वह डिपार्टमेंट भी डाउनग्रेड कर दिया गया है। अगर आप डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर करेंगे, तभी देश में डेमोक्रेसी सुरक्षित रहेगी।

फिर 16 वीं बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कही है : "Reconstitution of Election Commission by a tribunal of three persons of the status of a High Court Judge." हमने यह मांग की है कि सही माने में अगर प्रजातंत्र को मजबूत रखना है तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। कैसा यह इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है एक आदमी का, कुछ समझ में नहीं आता।इन्होंने चिट्ठी भेजी थी मैं ए०आई०सी०सी० में था, जनवरी की बात है—कि आप विरोधी दल के सब लोग बताएं कि अमेंडमेंट आफ रूल्स किए जायं या न किए जाय, आपकी राय क्या है। सभी विरोधी दलों ने कहा कि इस समय लास्ट मिनट में अमेंडमेंट आफ रूल्स न किए जाएं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और तब तक इलेक्शन के नामिनेशन का टाइम आ गया, 25-26 जनवरी आ गई। यह बात ला डिपार्टमेंट को मालूम है। इन्होंने लॉ डिपार्टमेंट से भी पूछा। मुझे मालूम हुआ है कि लॉ डिपार्टमेंट ने लिखा कि विरोधी दल कह रहे हैं आप संशोधन न करें,इसलिए इसको अस्वीकार किया जाता है। मुझे ऐसा मालूम हुआ है, फाइल देखी जाय। 27 जनवरी को जिस दिन नामिनेशन शुरू हुए उस दिन यह इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट करता है। जो यूनीलेडट्रली उसने किया वह सामने है। असल में जो सबसे बड़ा कमिटेड आदमी है, जो अपने को इंडिपेंडेंट कहता है वह इलेक्शन कमिश्नर है। सही बात तो यह है अगर पावर हो तो—कि उनका इम्पीचमेंट होना चाहिए और अगर इम्पीचमेंट न हो तो ट्रायल होना चाहिए, नहीं तो कम से कम आगे के लिए सुधार होना चाहिए। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को हटा कर तीन व्यक्तियों का कमीशन बने, जिसकी हैसियत जजेज के बराबर हो, जो सरकार के मातहत न रहें, वह इंडिपेंड हो सकते हैं। जैसा राजनारायण जी कहते हैं और हम भी कहते हैं, इलेक्शन में धांधली हुई है।

**श्री महावीर त्यागी :** माफ कीजिएगा। लॉ के मुताबिक इलेक्शन रूल्स जो हैं,उनको गवर्नमेंट एमेंड करती है इलेक्शन कमिश्नर से कन्सल्ट करके। अगर लॉ मिनिस्ट्री ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया।

( Interuption )

**श्री एस० डी० मिश्र :** मेरी इत्तिला यही है, फाइल मंगाई जाय।

**श्री राजनारायण** : पहले लॉ डिपार्टमेंट से पूछा। उनके रिजेक्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनसिस्ट किया। जब इनकी कांस्पिरेसी बन गई, तब 27 जनवरी को गवर्नमेंट ने उसको एमेंड किया, पता ही नहीं चलेगा कि किसको किसको किस पोलिंग बूथ से कितने वोट मिले हैं।

**श्री एस०डी० मिश्र** : अब एक नया तरीका पड़ गया है इस सरकार में कमिटेड लोगों को रखने का। मेरे पास कुछ कागजात हैं, खोले नहीं हैं। सन 1968 की बात है, इलेक्शन कमिश्नर पर कुछ सवाल लोक सभा में उठे थे, रबी रे ने उठाए थे, कुछ हाउस का था, कुछ टैक्सेज का, उस समय यह हुआ कि इन्क्वायरी हो, उस समय इन्क्वायरी नहीं हुई। मेरी इत्तिला है--गलत हो या सही, सरकार को बताना चाहिए--कि 1970-71 में चुनाव से तीन महीने पहले अक्तूबर-नवम्बर में--मुझे खुशी होगी, अगर मेरी इत्तिला गलत हो--इनके खिलाफ सी०बी०आई० की इन्क्वायरी हुई, फाइलें मुकम्मिल की गईं और कन्फर्म किया गया कि अगर आप ठीक से व्यवहार नहीं करते--ठीक से व्यवहार करने का मतलब पक्षपात नहीं करते तो यह होगा, उस पर समझौता हुआ। फाइल के अन्दर है या नहीं है देखा जाय। अगर नहीं किया गया है तो कह दिया जाय कि ऐसी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। 1968 में जो सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया था।

[ THE VICE CHAIRMAN ( SHRI BANKA BEHARY I "AS ) IN THE CHAIR ]

**श्री राजनारायण** : सवाल कोई बड़ा नहीं है। ये रिफ्यूजी नहीं हैं लेकिन रिफ्यूजीज को जो लैंड मिलती थी, वह ले ली है।

**श्री एस० डी० मिश्र** : मैं सूत्र में कह रहा हूं, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री बांक बिहारी दास)** : समय बिलकुल नहीं है।

**श्री महावीर त्यागी** : आपकी स्पीच से मुझे यह लगा कि कोई फाइल ऐसी थी उनके खिलाफ जो उनको दिखाई गई...

**श्री एस०डी० मिश्र** : मेरी ऐसी इत्तिला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बता दिया जाय ताकि आगे के लिए इलेक्शन कमिश्नर दबे तो नहीं, यह तो पता लगे कि जैसे सुखाड़िया को दबाया, जैसे इलेक्शन कमिश्नर को दबाया, यह जो नया तरीका निकाला है, उसका अन्त होगा या नहीं होगा।

4 P. M.

**श्री राजनारायण** : एक इंफार्मेशन मैं दे दूं। आप इनके समय में इसको मत जोड़िये। आज इलेक्शन कमिशन से हमने बात की। कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने इंस्पेक्शन करने की मांग की, उनको इलेक्शन कमिशन ने इजाजत दे दी, लेकिन हमारी मांग को उसने रिजेक्ट कर दिया। हमसे कहा गया कि हाई कोर्ट, पंजाब ने यह कह दिया है कि इलेक्शन कमिशन का अधिकार नहीं है। इसलिए हमको अपने बैलेट पेपर्स का इंस्पेक्शन करने की इजाजत नहीं मिल सकती है।

SHR1 BHUPESH GUPTA : Why not make Mr. Rajnarain the Election Commissioner '.'

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BANKA BEHARY DAS) : I cannot permit you more than 15 minutes.

SHRI S. D. MISRA : But you have permitted interruptions against my time.

मैं यह कह रहा था कि अपने प्रोग्राम में, गरीबी हटाओ प्रोग्राम में हमने अपने मैनीफेस्टो में, समाजवादी दल ने और अनेक दलों ने यह प्रस्ताव किया था कि कम से कम दस वर्ष में हमें ऐसी स्थिति जरूर लानी चाहिए कि हर व्यक्ति, हर परिवार के पास एक मकान हो जाय। आज क्या हालत है मकानों की? के० के० शाह साहब इस समय नहीं हैं। पिछले साल उन्होंने एक कारपोरेशन बनाया था, हाउस कारपोरेशन या क्या नाम था, मुझे इस वक्त याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि 200 करोड़ रुपये हम हर साल देंगे। लेकिन जब सवाल किया जाता है इस सदन के सामने तो कोई स्थिति साफ नहीं होती है। हम लोगों का इरादा था कि दस मिलियन हाउसेज एवरी इयर कम से कम इस देश में बनने चाहिएं, जो गरीबों को और सबको दिये जायें।

आज झुग्गी झोपड़ी वालों की दिल्ली में क्या हालत है। उनकी हालत यह है कि उनको पकड़-पकड़ कर के निकाला जाता है और तब होता

[ एस० डी० मिश्र ]

क्या है कि झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे लाचार होकर कांग्रेस आर का झंडा लगा लेते हैं और कभी माला पहनाने चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को जिससे वहां से निकाले न जायं। इस तरह अगर एक बार नहीं निकाले गये तो दूसरी बार या तीसरी बार निकाल दिये जाते हैं।

**चौधरी ए० मोहम्मद :** बारह लाख का फव्वारा तो बन गया।

SHRl S. D. MISRA : What can I do ? You have to give me protection.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl BANKA BEHARY DAS) : Shall I give you protection against your own Members ?

SHRl S. D. MISRA : Yes. Sir. You have to give me protection against everybody in this House, when I am speaking, not only my own party Member. He may be my party Member.

मैं यह कह रहा था कि अब तो उनका बहुमत हो गया है, सही या गलत, लेकिन अब तो वे नान-एलाइनमेंट सही तौर पर ले आये। अभी तक तो यह डर था कि उनको रूस दबायेगा, सी० पी० आई० का सहारा चाहिए था। लेकिन अब सी० पी० आई० क्या है। माफ करेंगे। भोला जी, और माफ करेंगे गुप्त जी, यह सी०पी०आई० तो गिरते पड़ते आ गयी कांग्रेस (आर) की दया से नहीं तो उसका हाल वही होने वाला था कि जो अकाली दल का हुआ। जो दूसरी पार्टियां आयी हैं वे अपनी ताकत पर आयी हैं। सी०पी०एम० अपनी ताकत पर आयी है। हम कम आये हैं लेकिन हमारी जो ताकत थी हम उसके हिसाब से ही आये हैं। सोशलिस्ट पार्टी कम आयी, लेकिन उसकी ताकत भी क्या है और जनसंघ अपनी ताकत पर आया, लेकिन यह तो चोली और दामन पकड़ कर आये हैं। सी०पी०आई० का स्थान तो उपसभापति जी बदला जाना चाहिए। आप भूपेश गुप्त जी की सीट उधर कर दीजिए और यह कॉट हमारे दल वालों को दे दीजिए। हमारे जो डिप्टी लीडर हैं, वे उधर कोने में बैठते हैं। गुप्त जी को तो मेहताजी के पास बैठा देना चाहिए जो मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेयर्स हैं, उनके सामने। तो उनका बहुमत तो आ गया है। नान-एलाइनमेंट पालिसी को लागू करने में अब देर क्यों हो रही है। पंडित जी ने जो सह-अस्तित्व की घोषणा की थी, वे लगाव की राजनीति. . .

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal) : Mr. V ice-Chairman, may I interrupt for one minute ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl BANKA BEHARY DAS) : No interruption, unless it is a point of order. Please conclude, Mr. Misra. I want to give an opportunity to others.

SHRl S. D. MISRA : Within o» minute I shall finish.

लास्टली, मैं यह कहूंगा आपसे कि हमारे देश में जो यह नीति चल रही है वह ठीक नहीं है। आप देखिये कि चाइना एटम बम बना रहा है। अभी प्रधान मंत्री ने परसों नरसों घोषणा की और सरदारस्वर्णसिंह ने कहा कि इस बम का पूरा स्ट्रक्चर और आई०सी०बी०एम० मिसाइल का प्रोडक्शन पूरा वहां हो रहा है, चाइना में, और अब समय आ गया है कि हम भी यह बनायें और इस दिशा में काम होना चाहिए। यह नकली बहुमत है। नकली बहुमत डिफेक्टर्स का ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकता। उनका इरादा है कि देश में सभी जगह डिफेक्टर्स का राज्य हो जाय। केन्द्र में डिफेक्टर्स का राज है, उत्तर प्रदेश में भी डिफेक्टर्स का राज कायम हो गया, गुजरात और मैसूर में भी डिफेक्टर्स राज हो गया। तो पूरा पाउन्ड आफ फ्लेश यह देश का खा गये। तो इसमें ही उनको संतोष होना चाहिए और अब आगे उनको सही मायनों में गरीबों के लिए काम करना चाहिए।

DR. (MRS.) MANGLADEV1 TALWAR (Rajasthan) : Mr. Vice-Chairman the massive mandate of the people given to the Congress Party musi be respected and understood. People have understood that there is only one party that can give a stable and strong Centre and can deliver goods to the millions of people, and that we have to keep in mind whatever else we do in future. Of course lhe parly thai has formed the Government at the Centre would consider,

would implemi it all its pledges ihat have been givi i during the election, as our party k tder, our Prime Minister, has stated s< many times in no unmistakable .Tins. The Constitution is made I »r the people and not the people for hs Constitution. The rounder-lathers >!' our Constitution no doubt had de it-d a great deal of thought and tin e n framing the Constitution which was the best in the world and bes suited to the conditions that exist sd in our country at that time. Bui times have changed, the conditions a\e also changed ;\nd therefore we ha e to take a new look, we have to re ousider the Constitution that we h ve at present.

Sir, 1 refer o one point made by the hon. Men ber Shri Yajee. He said that two-tli rds majority of Parliament is sullicit it to alter any law, even the fundamental rights of our Constitution an there is no need to amend the < 01 stitution. I would refer to one art do. I would refer to article 13 (2) in Part 111 of the < on u union : "The State shall not make any law which ikes away or abridges the rights con ;rred by this Part", etc.

There are < her paragraphs also. Therefore it i absolutely essential that we have ti amend the Constitution to suit tl e present conditions, especially in two respects-one, the right to propi t\. Well, the right to property has to be correctly interpreted and tin lei stood. Our Prime Minister has s at.'d many times in both the House? that doing away with the property in our country docs not mean that ever; middle class person, every poor per m will have to part with the little cottage or the little house that he ias. No. Or it does not mean that the farmers have to part with their lands that they have and cultivate. It only means that people who ha^e thousands of acres of land, like tl : princes, the monopolists and the rich people who have usurped the 1; nds of the people— they are the owners at present— their lands have to be taken away and that right is to be taken away. It comes under the Fundamental Rights and therefore we cannot do away with that even with two-thirds majority in this House and in the other House. So much for the Constitution amendment.

Now I come to the next part of this Resolution, which reads—

> (2) effective measures for checking the growth of unemployment and for creating the minimum employment opportunities;"

Sir, it is said that there are nearly seven crores of people who are unemployed in our country. The exact number we do not know. I am glad to hear from the Government that they are going to appoint a Commission that will find out the exact number of the unemployed and the underemployed. There is no doubt that there is a huge number of educated young people, engineers, doctors and other technical personnel, who cannot find jobs in our country, and they must be given employment. They have to be usefully and gainfully employed. And Government has to take effective and immediate steps, to check un-employment.

I will draw your attention to one section of die farmers, which point has never been considered either by the Government or by our House. I refer to the dry areas in our country, which exist in many States. There is a dry belt running through the country. About this dry belt. 1 will just say a few words. About dry farming, a quarter of a century ago. an agricultural expert reported that "Agriculture in large parts of India is till a gamble in annual rainfall" What he said is as true as ever today. 80 per cent of the 158 million hectares of cultivated laud in the country depend upon the monsoon weather. Nearly 36 per cent of the sown area, about 47 million hectares, get little rain, and lack adequate irrigation facilities of 1 any kind. The annual rainfall ranges

[ Dr. (.Mrs.) Mangladevi Talwar ]

from 40 centimetres to 100. This area spreads across eleven States, from Jarnmti and Kashmir in the far north through Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, And lira Pradesh and Mysore to Tamil Nadu in the far south.

Eighty four districts in these Slates fall within this category of poor and uncertain rain where dry farming, without irrigation to support it, is common, indeed inevitable. When even the meagre monsoon rains fail in these areas, partial or total failure of crops follows, and this in turn is followed by famine or near famine conditions. I may say that the western parts of Rajasthan like Banner and JaisaInter are in chronic shortage of water.

In these districts of scarce rain, 57.16 per cent of the total land surface is cultivated against a national average of 44.64 per cent. Low productivity has led farmers to bring marginal and sub-marginal land under cultivation in order to scrape a bare living from this land.

Much of the farm land in these districts is given to cultivating grain for the subsistence of the farmers and their families. In spite of this, grain output is barely one-fifth of the national total. The "green revolution" which has brought plenty and prosperity to other parts of the country with assured of irrigation has bypassed these districts so far. This is a potential danger. It is causing new socioeconomic problems in the countryside. The widening gap in living standards between farmers in irrigated areas who have reaped the benefits of the high yielding varieties programme and its predecessor, the Intensive Agricultural District Programme, and those who are not in the dry zone sis politically explosive.

Sir, the Government of India hits taken note of these signs of unrest, I am glad to say. The Indian Council of Agricultural Research should undertake co-ordinated research project to provide package programme suited to the needs of different soils and climates in the dry belt. At a cost of about Rs. 1.5 crores, 16 main research centres and 11 sub-centres are due to be set up in the areas. I urge upon the Government to expedite this programme and give adequate help and water like tubewells and small irrigation so that the land in these dry areas can be cultivated and grain can be grown there.

**श्री निरंजन वर्मा** (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, आज जो संकल्प रखा गया है उसका विषय बड़ा गम्भीर है, यद्यपि भारतवर्ष का शायद ही कोई ऐसा विषय छूटा हो जो इसमें सम्मिलित न हो, और इतने बड़े विषय पर श्री भोला प्रसाद जी ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होती यदि उनका विचार एक-पक्षीय न होता। इस संकल्प में कुछ तो अच्छी बातों के लिए प्रेरणा दी गई है और कुछ बातें ऐसी है कि जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में वह एक ही विचारधारा से अनुप्राणित हैं। उदाहरण के लिए जो पहिला पैराग्राफ है उसमें बतलाया है कि राइटिस्ट रिएक्शनरीज पार्टीज की डिफीट के कारण निम्नलिखित बातों के लिए योजना पर विचार करना है। इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि उन्होंने यह बात कैसे स्वीकार कर ली या सोच ली कि इस चुनाव में राइटिस्ट पार्टियों को नीचा दिखलाया गया है। हमारे कांग्रेस दल के योग्य मित्र ने यह बताना चाहा कि राइटिस्ट पार्टी केवल उस तरफ बैठने वाली है। हम साधारण शब्दों में उनसे यह पूछना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग कौनसे दिन से प्रोग्रेसिव पार्टी हो गई है, डी०एम० के. कौनसे दिन से प्रोग्रे सिव पार्टी हो गई है, अकाली पार्टी कब से प्रोगेसिव पार्टी हो गई है। अकाली पार्टी के साथ तो केवल लोक सभा के चुनावों में ही समझौता नहीं किया गया था, वह बात जान लेनी चाहिये। तो इस तरह से इन सब पार्टियों ने मिलकर के इन्दिरा कांग्रेस को चुनाव में जीताने के लिए यत्न किया था। अगर इसका मतलब यह समझा जाय कि मुस्लिम लीग जिसको बंगाल में एक भी स्थान प्राप्त नहीं था उसको सात स्थान प्राप्त हो गये और सात स्थान प्राप्त हो जाने के बाद उनमें से तीन, चार को मंत्रिमंडल में ले लिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोग्रेसिव

और समाजवाद का यही उत्कृष्ट नमूना है और क्या आगे चलकर हमारा यही आधार होगा।

हमारे योग्य मित्र श्री याजी समाजवाद की बात करते हैं। मैं एक दो बात उनके सामने रखना चाहता हूं। इस देश में २२ वर्षों से लगातार कांग्रेस का राज्य रहा है। इस बात को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता है। आज तक इस देश में हरी क्रान्ति लाने की बात क्यों नहीं की गई। 1967-68 में अमरीकी राष्ट्र की पैदावार का एक बटा पांच गेहूं जो वहां उत्पन्न होता था वह भारत की गरीबी को दूर करने के लिए उस राष्ट्र ने हमको दिया और इस तरह से हरी क्रान्ति की बात आगे बढ़ी। 1967-68 में जब हमारे यहां पर भुखमरी फैली तो अमरीका ने जितना गेहूं उसके वहां पैदा होता था उसका केवल एक चौथाई हिन्दुस्तान की गरीबी को मिटाने के लिए दिया गया। अगर इतनी मदद देने के बाद सरकार जनता की गरीबी नहीं मिटा सकी, इस मदद को जनता की गरीबी मिटाने के लिए उपयोग में नहीं लाई तो यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। हमारी सरकार को जनता जनार्दन के आंसू कम से कम पोंछने तो चाहिये थे। उदाहरण के लिए संसार में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं होगा जहां पर एक आदमी को दस हजार रुपया तनख्वाह मिलती हो और एक आदमी को केवल 35 रुपया महीना ही मिलता हो। इस तरह की असमानता तो कांग्रेस पार्टी मिटा ही सकती थी। वह एक कलम की नोक से जिन आदमियों को, बड़े बड़े आदमियों को जिन्हें चार या छः हजार रुपया माहवार तनख्वाह मिलती थी उनकी तनख्वाह तो कम कर सकती थी और जो छोटे आदमी हैं उनकी तनख्वाह को ऊंचा कर सकती थी।

श्रीमन्, हमारे यहां समाजवाद की जो बात कही जाती है उसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे देशों में समाजवाद कैसे पनपता है उसका एक नमूना मैं आपको बतलाना चाहता हूं। रूस और अमेरिका में जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर तरह का प्रयत्न किया जाता है और वहां की सरकारों के लिए एक सिद्धान्त निहित है और उन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए होड़ लगी रहती है। कौनसा राष्ट्र अपनी जनता को कार दे सकता है, रिफ्रिजरेटर दे सकता है, अन्न दे सकता है, कौन उनको भोजन की सामग्री दे सकता है, और कौन उनको मकान दे सकता है।

प्रति वर्ष इन बातों की सूचनाएं संसार में निकलती रहती हैं उस पर से यह आंका जाता है कि कौन सा देश अपने यहां की जनता को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सका है, लेकिन हमारा देश भारतवर्ष इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यहां पर तो समाजवाद के नारे लगाए जाते हैं और आश्चर्य यह है कि जो समाजवाद की ए बी सी डी भी नहीं जानते वे बड़ी ताकत के साथ समाजवाद की डींगे बाहर और भवन के अन्दर आकर मारा करते हैं। समाजवाद का तात्पर्य यह तो नहीं है कि उदाहरणार्थ कुछ थोड़े से लोग खादी पहनें—खादी पहनने वाले उन लोगों पर बहुत अफसोस होता है भारतवर्ष के नागरिकों को—वही लोग इम्पाला और टोयोटा एक-एक लाख रुपए की गाड़ियों में बैठ कर घूमें। यह भारतीय समाजवाद है और इसके अनुयायी हैं कांग्रेस के महामहिम नेतागण। इस देश में भी गाड़ियां बनती हैं, उन गाड़ियों में भी वे बैठ सकते हैं, लेकिन प्रिवीपर्स पाने वाले राजाओं को नीचा दिखाने के लिए विदेशी गाड़ियों में बैठते हैं। राजाओं के पास एक-एक, दो-दो मंजिल के भवन हैं, लेकिन भारतीय समाजवाद के इन स्वयंभू नेताओं के पास ४-४, ६-६ मंजिल के मकान हैं। उनमें बहुत सामान है, उसे कम करो तो इन्हें बुरा लगता है।

**श्री शीलभद्र याजी :** ये समाजवादी देश में गए हैं, समाजवादी किस स्थिति में रहते हैं, यह देखा है?

**श्री निरंजन वर्मा :** मैं समाजवादी देशों में गया हूं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हरी क्रान्ति के जनक, तुमने देश को ठगा है हरी क्रान्ति की बात कह कर, ताइचुंग किस्म लाकर देश को डुबाया है। आज प्रश्नोत्तर काल में सुना कि ज्वार के खराब सीड्स देकर लोगों को मारा। फारमोसा जाकर देखिए जहां एक वर्ष में चार-चार फसलें उगाई जाती हैं, इजराइल को देखो, अमरीका को देखो और रूस को देखो। अपने आका देश पर भी चलो तब भी समाजवाद समझ में आ जायगा। लेकिन असली बात यह है कि समाजवाद के दर्पण में यह किसी दूसरे का मुख न देखकर अपनी बहबूदी, अपने लाभ का मुख देखना चाहते हैं और उसमें समाजवाद का जो अपना घिनौना मुख है, उसका अच्छा मुख देखने की आकांक्षा रखते हैं। यही इनका समाजवाद है।

हमारे योग्य मित्रों ने अभी सम्पत्ति पर अधिकार के बारे में कहा। भोलाप्रसाद जी ने भी सम्पत्ति पर अधिकार के बारे में बात कही थी।

[ श्री निरंजन वर्मा ]

1917 में रूस के रिवोल्यूशन के समय में घोषणा की गई थी कि प्राइवेट आदमियों का अपनी वस्तुओं पर, सम्पत्ति पर अधिकार नहीं होना चाहिए, सारी चीजें राष्ट्र की हैं। हम पूछते हैं अपने योग्य मित्रों से कि 1950 में और उसके आसपास रूस ने कुछ चीजों में यह पाबन्दी उठा ली और कुछ चीजों में अधिकार दिया लोगों को यह चीजें रखने का. . .

**श्री शीलभद्र याजी :** अधिकार बना दीजिए मकान और आंगन को छोड़कर।

**श्री निरंजन वर्मा :** 1917 के रिवोल्यूशन में मकान नहीं है और आंगन नहीं है। यह सब उसने स्वीकार कर लिया है, अब खेत की बारी भी आएगी। अभी हमारे मित्रों ने कहा कि हमने इस चुनाव में किसानों को गारन्टी दी है, गरीबी को हटाने की गारन्टी दी है, किसान अपनी भूमि के मालिक होंगे, जो बड़ी बड़ी भूमि वाले व्यक्ति हैं, जोतदार हैं, उनका सफाया करेंगे। 24 वर्ष से हमारे कृषक को आश्वासन देने वाले महानुभाव अभी तक क्या करते रहे ? चौबीस वर्षों से उनके हाथ में न राज्य था,लेकिन छोटे किसान,अलाभकर जोत वाले किसान, जिनके पास भूमि नहीं है उनकी भूमि की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई और व बराबर आज भी भूमि के लिए तरस रहे हैं।

इसमें एक बात और बताई गई कि मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बराबर यत्न किया जाना चाहिए। इसमें, दो राएं नहीं होनी चाहिएं और इस संकल्प में यह पास हो जाय तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के मित्र क्या यह बता सकेंगे कि बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट्स को जिन्दा किसने रखा है ? विरोधी दलों ने तो जिन्दा नहीं रखा है। जिन्दा रखा है कांग्रेस के सदाशय मित्रों ने और उन मित्रों ने, जिनको चुनाव के समय बड़ी बड़ी रुपयों की गठरियों की आवश्यकता पड़ती है।

उनको वे वरदान देते हैं और वरदान देने के बाद कभी कभी यह भस्मासुर भी बनना चाहते हैं। इस सदन में अगर साल भर में नौ महीने तक बिड़लाजी का गुणगान न होता हो तो इस सदन की मर्यादा ही क्या है। हमारे भाई कृष्णकान्तजी बैठे हैं। अगर आप पूरे सेशन में दस बार बिड़ला जी का गुणगान न कर लें तब तक वे वैतरणी नदी पार नहीं कर सकते। लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि इतना गुणगान करने के बाद बिड़लाजी का उन्होंने कर क्या लिया। हमारे हाथ में तो सत्ता थी नहीं। मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज बिल आया. . .

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** बिड़लाजी से उन्होंने चुनाव में बहुत पैसा वसूल किया इसी गुणगान की बदौलत।

THE VICE-CHAIRMAN (SHREE) BANKA BEHARY DAS : I want give you more then 15 meniutes.

**श्री निरंजन वर्मा :** श्रीमन्, इसमें मेरा कसूर क्या है ? अब रामनाथजी गोयनका का नम्बर आयेगा। अब आप देखिये श्रीमन्, कि साल भर में कम से कम नौ महीने रामनाथजी गोयनका का जिस तरह से भक्त लोग भगवान का पूजन करते हैं उसी तरह से यह लोग भजन पूजन करेंगे और अगर उनसे भी इनकी साधनायें पूरी हो गयीं तो गोयनकाजी चले जायेंगे और फिर कोई दूसरे साहब आ जायेंगे। तात्पर्य यह है कि मोनोपोलिस्ट्स को जिन्दा रखने का सारे का सारा यत्न हमारे कांग्रेस के मित्रों का है जो उनसे अनुचित लाभ उठाने की प्रतीक्षा में रहते हैं और उनका काम करने के लिए तैयार भी रहते हैं।

इसमें एक बात और भी है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कही गयी है। इस सदन में एक बार जब प्रिवीपर्सेज के बारे में चर्चा चल रही थी तो बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि दोनों सदनों की एक बैठक बुलाकर उसके ऊपर निर्णय करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। मैंने उस समय समझ लिया था कि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की बैठक का जिन सदस्यों की ओर से सुझाव आ रहा है उन्हें कानून के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसी तरह से जो व्यक्ति यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जुरिस्डिक्शन है उसको नीचे करना चाहिए, हम उनसे कहते हैं कि वे न्याय की तुला पर कुठाराघात नहीं कर रहे हैं बल्कि वे राष्ट्र की जड़ पर कुठाराघात कर रहे हैं। कोई देश, कोई प्रजातंत्री देश उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जुडिशियरी निष्पक्ष और सर्वोच्च न हो। अगर जुडिशियरी उनके हाथ में आ जाय और बिना चुने ही सदन में बैठ सकने की इनकी आकांक्षायें हों तो फिर इनके ऊपर कौन रहेगा, इनकी जांच करने वाला कौन रहेगा ? सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कम करने की जो बात कहते हैं

वह हम समझते हैं कि स्वार्थ पर आधारित है और उसमें कोई तथ्य नहीं है।

इसी प्रकार उन्होंने सोशियो इकानामी का बड़ा सुन्दर नारा लगाया है कि स्थान-स्थान पर सोशल चेंज होना चाहिए और आर्थिक युग अब हमारा नये सिरे से चलना चाहिए। लेकिन समस्त शिष्टताओं के साथ आदर व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि वह सोशल असमानता दूर नहीं कर सकते, इसलिए कि जो स्वयं समानताओं पर खड़े होते हैं वे दूसरों की समानताओं का आदर करते हैं और न्याय करते हैं। इसलिए जब वे स्वयं ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वह इसके अधिकारी भी नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर सिविल राइट्स सबके बराबर न हों लेकिन यह भारतवर्ष एक ऐसा विचित्र देश है कि यहां सिविल राइट्स तो क्या सिविल कोड भी बराबर नहीं हैं। यह साम्प्रदायिकता के पीछे हाथ जोड़ते फिरते हैं। और जब तक ये उसके पीछे पड़े रहेंगे तब तक इनको समानता के आधार की कोई कसौटी नहीं मिलेगी।

इन शब्दों के साथ इस रेजोल्यूशन में जो अच्छी बातें हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अधिकांश में बातें घिसी पिटी और पुराने जमाने की ही हैं इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं।

SHR[ BHUP SH GUPTA : Mr. Vice-Chairman, S r, 1 rise to support this Resolution ecause the Resolution more or less spells out the urges and aspiration >f the people, so clearly given exp >ssion to in the last General Election . And I think the Government sho ild now come forward with concrc e measures to implement or rather t > honour the pledge that the leaders of the ruling party gave to the ele torate, justified the arrangement of mid-term poll and sought their ma date and support.

Unfortunately. Sir, neither the President's Address nor the Budget speech has given rise to ay hope or encouragement. There are certain good points in both the spee/h and the Address. But then the uevious Presidential Addresses and Budget speeches also contained some good points. What was expected, Mr. Vice-Chairman, was not just a reiteration Of excellent sentiments or an isolated proposal, but a comprehensive outline of policies that would be followed with a view to bringing about radical changes in the Constitution and, above all, for carrying out progressive and radical socioeconomic measures. Nothing of the kind has been done. It may be a short session, but surely we could have done something during this session also.

We expected that the Bill to abolish the privy purses would be again brought before the House, so that we can pass it. There is no justification not to bring it on the ground that even if we passed a Constitution (Amendment) Bill that might be struck down by the Supreme Court. Tf that was so, a Bill for restoring power to the Parliament to amend any part of the Constitution, including Part 111, should have been taken up for consideration and enactment in this House.

Now, Sir, these constitutional changes are of great importance today. Either we make these constitutional changes or we allow ourselves to be hamstrung by the Supreme Court. Hence it is of paramount importance that the constitutional changes are at oiice brought about. There was no justification whatsoever on the part of the Government not to have done so during this session.

It may be said that if we pass it again, we shall come up against legal difficulties. But, first of all, pass it, and then say, "We are coming up against legal difficulties". Tf the Supreme Court comes in the way, wc could similarly deal with the situation created by the judgment when Constitutional (Amendment) Bills are struck down. 1 don't see any reason why that should not have been done.

Sir, today the lines are very clear. The Congress Party has got its majority in the other House, and it is also very heavy. Right Reaction has been

[ Shri Bhupesh Gupta ]

weakened. Their hopes have been defeated. They have been sufficiently humbled, and they would for some time be licking their wounds.

But why this stalemate and status quo. of the Congress Government? If this is not done away with Sir, the country has no future. Therefore, I want that these measures should be taken. 1 wish to make it absolutely clear now that we are not going to reconcile to the policy of status quo. Either move to the Left, take progressive measures, or with whatever strength we have got in this House and in the other House and in the country, we will resist this attempt to maintain the Status quo. Sir, we are apprehensive because these Syndicate people and the reactionaries are now returning to the Congress Party in otder to bargain with the Congress leadership so that the mandate of the electorate is flouted and pretexts and excuses are found to perpetuate the status quo and delay important and radical social and economic legislation which the country demands. That is why we say that today Parliament must embark on a course with a new outlook, with a new approach. Now we need not be inhibited at all by other considerations. Today when the country is going to move forward according to the mandate of the people, the desires of the people, should we allow this elephantine majority of the Congress Party to come in "the way by pulling a brake or maintaining the present state of things ? This is the issue. Sir. We are for progress.

Now some people go and say "We support the Congress". Yes, Sir. When it was a question of right reaction or meeting the threat of right reaction, surely we were against right reaction and we voted every time when the right reaction or the rightist parties wanted to assail the Government in order to gain political ground or, if possible, to topple it. Today these considerations are irrelevant as far as toppling is concerned.

SHRI A. P. CHATTER J EE : Why are you supporting the Congress in West Bengal now, today.?

SHRI BHUPESH GUPTA : Just a minute. Do not disturb me. You will have it. Sir.... (Interruptions).. You are not a right reactionary. Why are you saying it?

SHRI S.D. MISRA : The CPI is elected only because of Congress . . . (Interruptions).

SHRI A.P. CHATTERJEE : Say that you support the Congress; I shall bless you here and now.

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr, Chatterjee need not lose his chances.. . (Interruption}.

SHRI A.P. CHATTERJEE : I do not like. .(Interruptions). .1 just wanted to have some open words with you so that you will at least . . . (Interruptions).

SHRT BHUPESH GUPTA : You are a beautiful man; you are a handsome man.

Therefore, Sir, today it is quite clear that the Congress rulers should realise that their old norms and standards are not going to be applied. Naturally they have got to count upon the support of the Congress people when the rightists are threatening to topple them. That is the position uxhiy. Today you will be judged by what you are doing, where you are taking the country. Nothing else will enter into coasideraticm in determining the attitude or the policy of the various parties towards the Government.

Sir, here they are now. talking about wages and, what is called, the "wages and incomes" policy. Now the British slogan has been borrowed here. It is a reactionary slogan. As you know.

this policy is (o wage-freeze and noihing else.

THE LEADEI OF THE OPPOSITION (SHR1 N S GURUPADA-SWAMY) : Wha is the reaction?

SHRI Mil 'tSH GUPTA : You yourself hav mentioned it. The so-called incomes and wages policy of the British Labour Party, of the reactionary circles >f the Labour Party, is nothing but t e policy to freeze wages because y HI cannot control incomes in a cap alist society at all. It goes on. Actually, what you do is freezing the wages, you cannot control black money. Th refore, Sir, the so-called incomes an l wages policy is a bogus and retrograde policy with a view to freezing v ages, and it should not be given any encouragement.

SHR1M.S.GI RUPADASWAMY: suggested thai there should be a national policy c ] wages, prices and profits.

SHRI BHUPI.SH GUPTA : First of all give th m a basic minimum wage. Wages are -tgging behind prices. It is not that wage are ahead and prices are following. In act, wages are always changing the prices. Even the clearness allowance to lay is not adequate for 100 percent i eutralisation of the rise in the cost of living. What is the use of talking aboi t the so-called wages and incomes pol :y? It may sound very pedantic am very philosophical but what we want s a rise in the wages of the working pet pie and, certainly we want a cut in the ncome of the monopolists and simil; : other sections of the exploiting cla ses.

SHRI M. .. GURUPADA-SWAMY : You do not want policy at all?

SHRI BHUJ'ESH GUPTA : 1 do want but not this policy. About the Supreme Cour , the articles relating to the compositi >n of the Supreme Court must be | one into. I have in mind some ai icles beginning with article 124 of the Constitution. There should not be a limit to the Judges in the Supreme Court. The Central Government should be in a position to appoint as many judges as it likes and they can be appointed directly of course. Always it can be done from the Bar and not necessarily from the Bench. We must see that the Supreme Court is so composed that it accords with the broad fundamental aspirations of our people and the Directive Principles of the Constitution are guaranted in the sense of the governance of the Supreme Court as well. That is very very important.

We cannot leave the Supreme Court where it is. Necessary changes are needed and we should amend those provisions of the Constitution. I have suggested and I suggest again that Judges should be appointed on the basis of a panel approved by the Lok Sabha. 1 am not saying that the Lok Sabha should appoint them but as in other countries-why not in this country also-a panel should be recommended and approved by the Lok Sabha and out of that the executive authority, the President, should appoint the Judges. That gives a certain important function or role to the elected people and the representatives, namely the Lok Sabha. 1 have also suggested that in the event of a difference arising over any Constitution (Amendment) Bill between the two Houses, as it arose in the case of the Privy Purse Abolition Bill there should be provision in the Constitution for a Joint Session of the two Houses as in the case of other ordinary Bills so that the differences could be resolved. These are measures that we can take certainly.

I have no time as there is a mctting. With regard to' other matters, I need not say much. Now the Resolution makes a demand for a Commission of Enquiry to be appointed to go into the allegations against the monopoly houses. That should be undertaken, as a part of the anti-monopoly campaign. The industries belonging to Mr. Ramnath Goenka—1 am told he is a Member of the other House now-should be examined very carefully. Everybody knows that he has cornered

[ Shri Bhupesh Gupla ]

42 % shares of I1SCO. I should like to know where this money came from. Till now the nation does not know or the Parliament does not know. It is necessary for us to find out by a proper enquiry. Section 207(4) of the Companies Act docs not help us at all. We cannot go into such matters under this particular section. For this we need the appointment of a Commission of Enquiry under the Commi-sions of Inquiry Act. 1 am told that Mr. Goenka's four newspapers have a paid-up capital of hardly one crore but their assets come to over Rs. 30 crores. Where the money came from we should find out and we know he has all these papers and other fake companies. The owners and partners are not available in India. It is not known where they live. Now this money is coming from all kinds of illegal transactions in the various branches of the financial activities by Mr. Goenka. All this should be subjected to a proper enquiry. Under the Reserve Bank Act there is a provision that a banking company cannot take deposits more than 25 % of its aggregate paid-up capital. Yet we find that the Express Newspapers (Private) Limited of Goenka has received deposits from the public to the tune of Rs. 12 lakhs and we also find in addition that the three Goenka paper companies, the Indian Express Newspaper, Bombay, the Indian Express, Madurai and the Andhra Pradesh, Vijayawada, have taken unsecured loans from the public of the value of more than Rs. 7 crores. This is evident, that Mr. Goenka's companies have been accepting deposits far above—and indeed several times—of the limit allowed by the Reserve Bank. The Goenka companies are violating the Reserve Bank notifications. There is no action taken against them. Therefore I say this and various other matters connected with the Goenka, Hari Ram-all names are there you can find out-and others should be taken up. I demand; if there was a justification for an enquiry into Dalmia .lain, if there was a justification for an enquiry into Mundhra, if there was a justification for an enquiry against Birlas—there is an enquiry against Birlas in certain matters —I do not,see why there should not be an enquiry against Mr. Ramnath Goenka and his concerns in regard to the serious allegations of business malpractices, corruption, swindle, black money etc. The Goenkas are the biggest holders of unaccounted money in the country. Everybody knows how much they spent in this election. I do not know how many crores of rupees they possess but go to Calcutta, go to other places, and they will simply tell you that Goenkas probably are the biggest owners of unaccounted money in the country and this unaccounted money is also used for political corruption. And the gentleman becomes suddenly a member of the Jana Sangh or a ti-cketholder of Jana Sangh and simultaneously blessed by the Rajmata of Gwalior, I am told, and gets elected there. So these are matters that should be gone into. Mr. Goenka, 1 demand, should come under an enquiry and why this Government is not holding an enquiry. 1 do not know whether some people are being bribed in the Government because Mr. Goenka is quite capable of not only buying the Jana Sangh ticket but also capable of buying some people in the Government and I have my doubt that the Goenkas . . .

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi): Did you not get your share of the bribe that has been given to the Government ?

SHR1 BHUPESH GUPTA : Maybe you are wholesalers in bribery. Why do you take Goenka as your candidate ? 1 know . . .

SHR1 A. G. KULKARNI (Maha-rastra) : There are Rajmatas and Rajas. Mr. Goenka is a poor fellow before them. Don't talk about Goenka,.

SHR1 BHUPESH GUPTA : Rajmata, yes. The Jana Sangh is becoming secular. In Balrampur Mr. Vajpayee believed in Gomata; it was spiritual. Now he has become temporal: he believes in Gwalior Rajmata.

DR. BH. I MAHAVIR : In any case wc do i it balieve in Rus Mata.

SHRI Bl UPESH GUPTA : My friends arc n >v> worshipping Rajmata instead of G 'mata; it is a good thing ihcy are tu ning from spiritualism, from religion to secularism in a way. Anyway Raj lata is a secular creature the Gomata concept is spiritual, a religious co ccpt. Anyhow I am extremely g id that they are making a little cha ige.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BANKA BE IARY DAS) : Now, you must finish.

SHRI BH UPESH GUPTA : Finally one wor I about the Administration just lik : your one word. Now this ICS, IAS arrangements must end. You referrec to it and you quoted, J believe, L ird Curzon or somebody, his noting ai 1 .ill that. I do not need to quote Lo d Curzon. What do we find now ? The experts do not have direct access to the Minister. The Ministers ca not meet them; Secretaries only cai meet them. I say these technical an other personnel should have direct access to the Ministers instead of l iving to go through the Secretaries. That is No. I. Secondly the whole t ling should be democratised and r organised. In the Establishment Bi ari some four or five ICS Secretaries s t together, they patronise their favour fes, they give promotions to their ow men and they suppress others. Tlu / create a coterie in. the Administrati >n whereas those technical officials, qu; lined experts, are not in a position to ome up. These ICS and IAS officials >nonopolise a certain quota which they keep in their own hands whereas the non-lAS people, people doing very food technical work, expert people, do tot get any promotion or accommodation. The Central cadre arrangement i and other things are there; I an going into all of them. The whole business of the so-called Establishme t Board, the secretaries Department , all these should be clearly disbanded.

If you are true to your election mandate, you cannot maintain that rotten, corrupt, bureaucratic show where nepotism thrives, where talent is suppressed and where corruption also takes place on a large scale. I demand that the whole thing should be scrapped and the Government of India should go into this question and devise ways and means of overcoming this kind of vested interests which have been created by a handful of officials at the top to keep down other people and especially those who do not belong to the I AS/ICS cadre, but who are certainly much more useful in the various branches of administration where they arc working and where they are employing more and more experts.

The administration should be expert oriented. It is not the ICS and IAS who should dominate. It is these expert people, whether they be economists, technicians engineers or others. They should have a proper say and a proper position in the administrative set-up. The coterie rule of the bureaucracy at the top must be completely smashed and broken up. This is a task which should be given immediately due attention and it should receive priority. I do not wish to say very much. The structure of the administration must change at all costs and that is the crux of the matter. I would urge the Congress Members opposite to pay a little more attention to this issue of administration, reorganisation of the administration and changing-the structure of the administration. Unfortunately we talk about so many other things, but do not pay attention to where things are going wrong, in the key areas for the implementation of progressive and better economic policies when they come to be adopted. In this Resolution a suggestion has been made that the proliferation of the administrative cadre in the functional fields should be stopped forthwith and the principle of the best man for the job should be implemented, keeping in view that men from the functional field are most suited for functional positions. You must remember that. Many suggestions can be made. Before

[ Shri Bhupesh Gupta j »

1 sit down I request the Home Ministry to call a meeting of the leaders and representatives of the Opposition to discuss the question of structural changes and also changes in the rules and regulations concerning the top echelons of the administration. I think this is a very important task from the point of view of getting things done in the country. Thank you very much for the time you have given me. I hope that this Resolution, which is not a partisan Resolution, would commend itself for acceptance by the entire House, except, of course, some of m> friends there not Mr. Mahavir Tyagi. I know that he is a wise man. He understands it and he is sitting there by accident, but there may be some people who may not support it. Hon. Members should support it. Anyhdw, Let the voice be raised in support of it. Mr. Mirdha has come, after I have spoken on the subject. Before I sit down. Mr. Mirdha, I would request Mr. Mirdha. through you, that our suggestions with regard to the reorganisation should be carried to the Prime Minister and a proper meeting should be called by the Prime Minister to discuss the question of structural changes at the higher echelons in the administration. The so-called Establishment Board or the so-called Departmental Secretaries should be forthwith abolished. Better arrangements should be made with a view to ensuring that this coterie rule of the 1CS/IAS officials is put an end to and replaced by a far better effective democratic arrangement.

Thank you.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BANKA BEHARY DAS) : There is no time. Do you want to speak for one minute '.'

SHRI SYED HUSSAIN (Jammu and Kashmir) : I thank you, sir. I support the Resolution, but may I request you one thing ? I had given my name earlier and my name was | ptu down earlier, after four names. I have a right and 1 want to speak.

5 P.M.

I am crying hoarse. I think if one Member Mr. Rajnarain, is allowed to have his way, then democracy would vanish from India. 1 am surprised what is wrong with me. I have got certain purpose to express my ideas. Whenever I get up, I am put lasi of all and there is no time for me. I sit down in protest.

## CLARIFICATIONS RE. STATEMENT BY MINISTER RELATING TO CONCLUSIONS ON THE COMMISSION OF INQUIRY OF Till, INCIDENTS AT PATEL CHOWK NEW DELHI, ON 6TH APRIL, 1970.

THE MINISTER Ol STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNLI. (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Mr. Vice-Chairman, 1 had laid on the Table of the House in the morn ing certain conclusions that the Commission had arrived at. I was directed to circulate it to all hon. Members and it was the wish of the Chair that some time should be allowed to the hon. Members to seek clarifications on some points.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BANKA BEHARY DAS) : Any clarifications ?

SHRI CHHTA BASU (West Bengal) : Yes Sir, In the statement which has been circulated in paragraph 8. page 3, it has been said—as you know one Beharilal was seriously injured during the profession and he expired—-but this statement says lhal the death was not due to any injury causes to him while he was participating in the procession. The finding is of this nature. For the sake of fuller information I shall read it out;

"There is no sufficient evidence that Behari was injured at the cane-